


**विवाह यज्ञ है इसमें  
दुष्टता और भ्रष्टता न जोड़े**



# विवाह यज्ञ है इसमें दुष्टता और भ्रष्टता न जोड़ें



लेखक :  
ब्रह्मवर्चस्



प्रकाशक :  
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट  
गायत्री तपोभूमि, मथुरा  
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९  
मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९  
फैक्स नं०- २५३०२००

२०१०

मूल्य : १०.०० रुपये

**प्रकाशक :**

**युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट**

**गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३**



**लेखक :**

**ब्रह्मवर्चस्**



**मुद्रक :**

**युग निर्माण योजना प्रेस**

**गायत्री तपोभूमि, मथुरा ( उ. प्र. )**

# प्रजनन संबंधी ये भ्रांतियाँ विकास में बाधक

अपने समाज में कुरीतियों, विकृति, परंपराओं तथा अंध विश्वासों की भरमार है ? ऐसी प्रथाएँ जड़ जमाएँ बैठी हैं जिनसे अपार हानि होती है। किंतु लोग इसलिए उन्हें छाती से चिपकाए बैठे हैं कि वे लंबे समय से चली आ रही हैं। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विवाहों में होने वाला अपव्यय, मृत्यु भोज, छूत-अछूत, पशुबलि जैसी कुरीतियों से राई-रत्ती भर भी समाज को लाभ नहीं है, फिर भी जन सामान्य प्रथा परंपरा के नाम पर उन्हें अपनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़ने से वे धर्मच्युत हो जाएँगे। ठीक ऐसी ही एक मूढ़ मान्यता यह भी है कि संतान होना सौभाग्य का तथा न होना दुर्भाग्य का चिन्ह है। इस मान्यता के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वे और भी विचित्र हैं।

कहा जाता है कि परलोक में संतान के हाथ से ही जल-पिंडदान मिलता है अन्यथा भूखों मरना पड़ता है, दीर्घकाल तक नारकीय यंत्रणा सहनी पड़ती है। यही बात औचित्य की कसौटी पर कसी जाए तो खरी नहीं उतरती। थोड़ी देर के लिए उपरोक्त मान्यता को सच मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में कर्मफल के सिद्धांत को भी समाप्त करना होगा, जिसमें यह कहा गया है कि हर प्राणी को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है दूसरे का नहीं। बेटे के हाथ का दिया हुआ अन्न ही परलोक में मिलता तो पितरों को भूखों/मरने की नौबत आ जाती। तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया में यदि कुछ सच्चाई है तो मात्र इतनी कि पितरों के प्रति श्रद्धा बनी रहे। धार्मिक कर्मकांड उस श्रद्धा अभिव्यक्ति और मनुष्येत्तर जीवन के प्रति विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए किए जाते हैं। आवश्यक नहीं कि यह क्रिया कृत्य पुत्र के हाथों संपन्न हो परिवार के अन्य सदस्य जो मृतक से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, भी यह कार्य संपन्न कर सकते हैं। अस्तु यह तर्क निराधार है कि पुत्र के हाथों दिया गया पिंडदान ही पितरों तक पहुँचता तथा उन्हें शांति प्रदान करता है।

दूसरा तर्क दिया जाता है कि संतान द्वारा वंश चलता है। कुछ व्यक्तियों के संतान न होने से उनका वंश डूब ही जाए, ऐसा संभव नहीं। अपने ही वर्ण और गोत्र के कितने ही संतानोत्पादन में पीछे नहीं हैं। वंश प्रक्रिया उनसे भी चलती रह सकती है। अपनी संतान न हो तो समाज को हानि नहीं, हर तरह से लाभ ही लाभ है। बढ़ती हुई जनसंख्या, परमाणु विभीषिका की भाँति देश को अपने जाल में जकड़े है। जीवनोपयोगी साधन कम पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से बच्चों की संख्या न बढ़ाएँ तो इसे एक प्रकार से युगधर्म का पालन ही कहा जाएगा। सामान्यतया तीन चार पीढ़ी के बाद लोग अपने पूर्वजों के नाम तक भूल जाते हैं। कोई मृतक भूत बन जाए और अपने पोते परपोतों से कुछ पाने की अपेक्षा करे तो उसे हटाने का ही उपक्रम करना होगा। सृष्टि के आदि से अब तक जन्मे मनुष्यों में से यदि प्रत्येक का वंश चला होता तो अब तक अपनी पृथ्वी जैसी लाखों धरती बसाने की आवश्यकता पड़ गई होती। प्रकृति एक हाथ से वंश का उपक्रम करती है और दूसरे हाथ से बालू से बनाए महलों को बच्चों द्वारा लात मारकर बिगाड़ देने जैसे खेल भी रचती है। वंश नाश भी उसका एक उद्देश्य है ताकि धरती पर दूसरों को भी खड़े होने का अवसर मिलता रहे।

नाम चलने का सीधा संबंध मनुष्य के कृत्य से है न कि संतानोत्पादन से। मूर्ख से मूर्ख और निकृष्ट स्तर के व्यक्ति भी अपने जैसे कितने ही बच्चे पैदा कर देते हैं पर उससे उनका यश कहाँ बढ़ता है ? ऐसा संभव रहा होता तो इतिहास के पन्ने उन व्यक्तियों के नाम एवं जीवन चरित्र से भरे होते जो अधिक संतान पैदा करने में सक्षम हुए। महान् कार्यों के लिए सदुद्देश्यों में जीवन खपा देने वालों को कोई क्यों कर याद रखता। इतिहास के पन्ने ऐसे महापुरुषों के नामों से नहीं भरे होते, पर सच्चाई तो सच्चाई है इतिहास उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है ? नाम और यश उनका अमर होता है जिन्होंने समाज, देश और संस्कृति के लिए कुछ विशेष काम किया हो। नाम और काम वस्तुतः एक-दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। नाम यश चलने की परंपरा का संबंध प्रजनन से होता तो उन व्यक्तियों को कोई क्यों कर श्रद्धापूर्वक याद करता जो जीवन

पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर देश, समाज और संस्कृति की सेवा करते रहे। फिर विवेकानंद को क्यों स्मरण किया जाता है ? महर्षि दयानंद का नाम आज भी क्यों लिया जाता ? संतान के आधार पर ही नाम याद रखने की बात में थोड़ा भी औचित्य होता तो योगीराज अरविंद का नाम कभी का विस्मृत पड़ गया होता, महर्षि रमण और राम कृष्ण परमहंस को असफल व्यक्ति घोषित करना पड़ता, मात्र इस आधार पर कि उनकी संतानें नहीं थीं। फिर बिनोवा जैसे तपस्वियों के त्याग बलिदान को निरर्थक माना जाता, पर यथार्थता तो यथार्थता है। कुरीतियाँ उन्हें प्रकट होने से रोक नहीं सकती।

महँगाई के इस युग में संतान का न होना दुर्भाग्य का नहीं वरन् सौभाग्य का चिन्ह है। जिनके ऊपर बच्चों का अनावश्यक बोझ नहीं, उन्हें अपने को सौभाग्यशाली समझकर संतोष करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को उन कार्यों में नियोजित करना चाहिए जिसमें समाज एवं देश का कल्याण निहित हो। अपनी संतान के अभाव में किसी दूसरे के बच्चे के गोद लेने की परंपरा भी आज की परिस्थितियों में उपयोगी नहीं है। सामान्यतया अपने ही खानदान के किसी बच्चे को वंश चलाने के लिए गोद लिया जाता है तथा उत्तराधिकार में संपत्ति देकर जाने की बात सोची जाती है। किंतु उत्तराधिकार के लोभ में गोद लिए बच्चे की दृष्टि सदा यह रहती है कि मालिक का प्राण कब निकले जिससे कि वह हराम का माल शीघ्रताशीघ्र हड़प कर सके। ऐसे बच्चे कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकते क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें वंश चलाने के लिए, पिंडदान पाने की स्वार्थ सिद्धि के कारण गोद लिया गया है। प्रायः देखा यह गया है कि बड़े होते हुए गोद लिए बच्चे अपने कृपाकांक्षी का ही अहित करते और कभी-कभी तो हत्या जैसे जघन्य अपराध करने तक का जाल-जंजाल बुनते हैं।

बच्चों से यदि अधिक प्यार है अथवा उनसे मनोरंजन करना ही है तो किसी दीन-दुखी के परिवार के बच्चों को पालन-पोषण के लिए लिया जा सकता है। इससे वह बच्चा तथा उसके घर वाले कृतज्ञ होंगे। अपने ही खानदान के समर्थ व्यक्तियों के बच्चों को गोद लेकर स्वयं के लिए संकट मोल लेने की तुलना में यह कहीं अधिक श्रेयकर है कि असमर्थ बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व वहन किया

जाए। यह कहीं अधिक संतोष और शांति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा।

यह अत्यंत ओछे स्तर की क्षुद्रता है कि अपनी ही स्त्री के पेट के बच्चे अपने माने जाएँ और उन्हें ही प्यार दुलार दिया जाए। जिन्हें संतान उत्पन्न करने की उत्कंठा हो उन्हें भी सर्वप्रथम पत्नी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा अपनी आर्थिक परिस्थितियों पर बारंबार विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने नवागंतुक के पालन-पोषण के लिए अभीष्ट स्तर की योग्यता संपादित कर ली है। यदि नहीं तो संतानोत्पादन का घृणित दुस्साहस नहीं करना चाहिए। किन्हीं कारणों से जिनकी संतानें नहीं हैं। उन्हें उसे ईश्वर की कृपा मानकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने समय, श्रम, सामर्थ्य एवं संपदा का नियोजन श्रेष्ठ कार्यों में करके सही अर्थों में अपने नाम और यश को अजर-अमर बना सकते हैं।

विवाह एवं प्रजनन संबंधी मान्यताएँ भारत जैसे देश में ऐसी विचित्र हैं कि बहुत-सी विकृतियाँ इसी कारण होती समझ में आती हैं, हमारे देश में प्रायः १८ वर्ष का लड़का तथा १४ वर्ष की कन्या प्रजनन योग्य हो जाते हैं। कुछ का इससे अधिक आयु में भी विवाह हो जाता है और कुछ का इससे कम में भी। यद्यपि कानून ने २१ वर्ष से कम आयु के युवक और १८ वर्ष से कम आयु की युवती का विवाह गैर कानूनी ठहराया है। पर सामाजिक कुरीतियों और बाल विवाह के प्रचलन के कारण लोग इस वय से काफी कम आयु के लड़के-लड़कियों का विवाह कर देते हैं और आशा करते हैं कि हम कब दादा, बाबा, नाना, नानी या दादी बनें।

विवाह के बाद दो-चार वर्ष इतनी आतुरता से प्रतीक्षा की जाती है पौत्र या पौत्री की कि लगता है कि कोई खजाना मिल जाएगा और इसके बाद भी यदि संतान नहीं होती तो घर के सब लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है कि हमारा वंश चलेगा या नहीं; हमारे कुल का दीपक जन्मेगा या नहीं और तरह-तरह के टोने-टोटकों से लेकर वैद्य हकीमों तथा डॉक्टरों के यहाँ भाग-दौड़ और जॉच-पड़ताल की जाने लगती है कि हम पुत्र-रत्न की प्राप्ति की आशा करें या छोड़ दें।

न जाने क्यों संतान की संतान का मुँह देखने के लिए हम लोग इतना व्याकुल रहते हैं ? तीन-चार वर्ष तक बच्चे न होने पर चिंता होने लगती है तथा दौड़-धूप शुरू हो जाती है और आठ-दस वर्ष तक संतान न होने पर अपना दुर्भाग्य कहकर सिर पीट लिया जाता है। संतान के प्रति इतनी उत्सुकता और आतुरता का कारण यह है कि लोग संतान को कुल का त्राता मानते हैं। समझा जाता है कि अपने रक्त बिंदु से उत्पन्न हुई संतान ही हमारा उद्धार कर सकती है।

इन दिनों जब परिवार नियोजन को अधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगा, संतति निग्रह को अधिक आवश्यक बताया जाने लगा है तो उन लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है, जिनके संतान नहीं है अथवा है भी तो कन्या है। उन्हें अपने वंश चलने की चिंता होने लगी है। यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वंश की यशोवृद्धि या कुल का नाम संतान से ही चले और मान भी लिया जाए कि कुल का नाम संतान से ही चले तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले पीढ़ी के कारण परिवार की सत्कीर्ति ही बढ़े। यह भी तो हो सकता है कि बच्चे आगे चलकर दुष्ट निकल जाएँ और परिवार की, कुल की कीर्ति बढ़ाने के स्थान पर उसे कलंकित ही करें।

संतान न होते हुए भी संसार में कितने ही लोगों का यश अभी भी उज्ज्वल और धवल है। कृष्ण को सभी कोई जानते हैं पर उनकी संतानों के नाम भी शायद ही किसी को मालूम हों। राम के बाद लवकुश को छोड़कर उनकी अगली पीढ़ी के किन लोगों का नाम दुनिया को मालूम है। महावीर तो बीतराग और गृहत्यागी तपस्वी थे उनका यश आज भी बढ़ रहा है। बुद्ध को राहुल से अधिक लोग जानते हैं। ईसा ने तो विवाह भी नहीं किया था। शंकराचार्य, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, ज्ञानेश्वर, रैदास, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि रमण, रामतीर्थ आदि कितने ही संत महात्मा थे जो या तो अविवाहित रहे अथवा गृहस्थ भी रहे तो उनकी कीर्ति संतान से नहीं उनके सत्यकार्यों से ही अमर हुई। व्यक्ति का नाम और यश संतान से नहीं उसके सदगुणों और सत्कर्मों से बढ़ता और अमर होता है।



इसी शताब्दी की बात है, राजा महेंद्र प्रताप निःसंतान थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्षों पूर्व उन्होंने लोगों को निमंत्रण पत्र बाँटे कि उनके पुत्र का नामकरण संस्कार किया जा रहा है। काफी लोग उस समय इकट्ठे हुए अजन्मे पुत्र का नामकरण देखने के लिए और जब उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की तो लोग देखते ही रह गए। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रेम महाविद्यालय तथा राजा महेंद्र प्रताप का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और निःसंतान होने पर भी उनकी कीर्ति अमर हो चुकी है।

वंशवृद्धि का एक ही प्रयोजन है कि हमारा नाम चले और यों भी देखा जाए तो हमें स्वयं अपनी तीन-चार पीढ़ी के पूर्वजों से अधिक का नाम नहीं याद है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगली तीन-चार पीढ़ियों के बाद हमारा भी नाम करने वाला कोई होगा। प्रश्न उठता है कि शास्त्रों ने फिर वंशवृद्धि पर इतना जोर क्यों दिया ? क्यों यह कहा गया कि निःसंतान व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती।

शास्त्रों में इस तरह की बातों पर जोर इसलिए नहीं दिया गया कि वंशवृद्धि से ही सद्गति मिलती है। सद्गति तो मिलती है व्यक्ति को अपने सत्कर्मों से। मनुस्मृति का यह श्लोक दृष्टव्य है—

**अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।**

**दिवंगतानि विप्राणाम् कृत्वा कुल संततिम् ॥**

(अ० २५ श्लोक १५६)

अर्थात्—कईयों हजार कुमार, ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने बिना संतान उत्पन्न किए ही अपने उच्च विचारों, सत्कार्यों तथा सेवा व्रतों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त किया है।

वंशवृद्धि के लिए शास्त्रों में जहाँ भी प्रोत्साहनपरक उपदेश आए हैं। उनका कुल अर्थ इतना है कि उस समय एक तो आबादी कम थी और दूसरे समाज को योग्य नागरिक प्रदान करने का कर्तव्य बोध प्रत्येक व्यक्ति को कराया जाता था। यह नहीं कि जिस-तिस को कीड़े-मकोड़े की तरह संतानोत्पादन की छूट दे दी जाती थी। स्मृतियों में दुष्ट, पतित और दुराचारी व्यक्तियों को

पुंसत्वहीन करने का स्पष्ट आदेश है। जिसका अर्थ है कि समाज में कुसंस्कारी संतान का जन्म रोकने की कड़ी व्यवस्था थी।

समाज को सुयोग्य नागरिक देने के लिए ही प्रजनन किया जाए न कि अयोग्य और प्रतिभाहीन बच्चों को जन्म दिया जाए। वंशवृद्धि की प्रेरणा का एकमात्र यही आधार है पर लकीर के फकीर लोग केवल संतान की संख्या बढ़ाते चलने को ही वंशवृद्धि समझते हैं।

पूछा जाता है कि वंशवृद्धि के लिए संतानोत्पादन नहीं किया जाए तो फिर विवाह का ही क्या उद्देश्य ? विवाह का उद्देश्य प्रजा की वृद्धि ही तो है। यह सोचना गलत है। विवाह का उद्देश्य प्रजनन मात्र ही नहीं है वह तो एक छोटा-सा दायित्व भर है जिसे भी निभाया जाता है। अन्यथा विवाह तो एक घनिष्ठ, आत्मीय और अंतरंग साथी के लिए किया जाता है। प्रजनन मात्र ही विवाह का उद्देश्य होता तो फिर सभी जानवरों के विवाह होने चाहिए। पशु-पक्षी तो जब प्रजनन की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तभी एक साथ रहते हैं। अन्य समय में नहीं जबकि मनुष्य पति-पत्नी एक-दूसरे से आत्मीयता और प्रेम के तारों से एक-दूसरे के प्रति जन्म भर के लिए घनिष्ठ संपर्क सूत्रों में बंधे रहते हैं। इस प्रकार विवाह की सार्थकता संतानोत्पादन में खोजना व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी है।

कई लोग वृद्धावस्था में संरक्षण और सेवा की आशा से संतान का होना आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि वृद्धावस्था में जब हमारी शारीरिक शक्तियाँ चुक जाएँगी और हम बेकार हो जाएँगे तो हमें रोटी कौन खिलायेगा यह निरीह मृगतृष्णा है और आज के युग में तो वयस्क संतानों से भरण पोषण तथा सेवा-सुश्रूषा की आशा करना एक भयंकर छलावा है। वर्तमान स्थिति में ही कितने पुत्र अपने माँ-बाप को रोटियाँ देते हैं, उनकी गुजर-बसर का प्रबंध करते हैं। अपने संदर्भ में ही सोचा जाए तो वस्तु स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपने माँ-बाप को रोटी देते हैं तो हमारी संतानें भी हमें देंगी। हम अपने माता-पिता की सेवा-सुश्रूषा करते भी हैं तो भी यह मानकर चलना गलत है कि आने वाली पीढ़ी हमारी रोटी का प्रबंध करेगी ही, क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य का जीवन जटिल होता जा रहा है वैसे-वैसे उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं और भविष्य की पीढ़ी उन आवश्यकताओं को पूरा करने में ही

इतनी व्यस्त होगी कि माँ-बाप की चिंता करना उसके लिए कठिन होगा।

बुढ़ापे और असमर्थ अवस्था में संतान से संरक्षण की आशा मध्यम वर्ग में होती है तो गरीब परिवारों में यह समझा जाता है कि बच्चे अभी पाँच-सात साल में कमाने लायक हो जाएँगे। कहीं मेहनत मजदूरी करेंगे। निर्धन तथा मजदूर पेशा लोग आगंतुक संतान को परिवार के लिए दो और कमाऊ हाथ के रूप में देखते हैं। अब्बल तो छोटे बच्चे को काम-धंधे में लगाया ही नहीं जा सकता और यदि लगा भी दिया गया हो तो वे कितना क्या कमाकर हाथ पर रखेंगे। तीस-चालीस रुपये महीने कमा भी लिए तो परिवार को उस बच्चे पर जो खर्च करना पड़ा वह उसकी तुलना में आधा भी नहीं है। फिर बच्चे आठ-दस वर्ष की उम्र तक ही तो काम पर लगाए जा सकते हैं। इससे पहले किसी भाव नहीं। तब तक तो परिवार को जो खर्च करना पड़ा वह कमाने से पहले खाने वाले हाथ बढ़ने की स्थिति ही साकार करता है।

संतान के संबंध में एक अंधविश्वास यह भी प्रचलित है कि बच्चे भगवान की देन हैं और भगवान बच्चों को पैदा करने से पहले भोजन का प्रबंध कर देता है। सब अपनी-अपनी किस्मत लिखाकर लाए हैं और किस्मत का तो मिलेगा ही। यह सोचना गलत है, बच्चे भगवान की देन नहीं हैं। जब उनके जन्म को रोकना संभव नहीं था तब तो यह मानना थोड़ा बहुत ठीक भी था, पर अब जब कि संतति निग्रह भी संभव है और संतान को जन्म देना भी अपने हाथ में है तो यह अंधविश्वास हमारे रूढ़िग्रस्त मन की एक चालाकी भरी चाल मात्र है।

माना भी जाए कि बच्चे भगवान की देन हैं, वे ईश्वर की इच्छा से जन्म लेते हैं तो फिर जब वे बीमार पड़ते हैं और मरने के करीब होते हैं तो उन्हें ठीक रखने के लिए भाग-दौड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान बच्चों को जन्म देता है, उन्हें आयु देता है, भोजन देता है तो जीवित रखने के लिए हम अपनी इच्छा क्यों चलाते हैं ? वहाँ भी हमें संतोष करना चाहिए कि ईश्वर ने जन्म दिया है तो ईश्वर ही उसे वापस बुला रहा है। लेकिन उसे ठीक करने और स्वस्थ रखने की भाग-दौड़ दृढ़ता के साथ यह सिद्ध करती है कि बच्चों को

भगवान की देन बताने के पीछे हमारे अपने निहित स्वार्थ या स्वयं की अनुचित इच्छाएँ ही रहती हैं।

कुछ लोग परिवार को सीमित रखना तो चाहते हैं पर उनकी आकांक्षा यह रहती है कि कम से कम एक पुत्र तो हो ही जाए और पुत्र की आशा में संतान की संख्या बढ़ाते चलते हैं। पुत्र और पुत्री में भेद करना हमारे संकीर्ण स्वार्थी मन की ही कुचाल है। पुत्र प्राप्ति की लालसा के मूल में वही अपेक्षाएँ निहित रहती हैं, जिनका प्रारम्भ में उल्लेख किया जा चुका है कि कुल का नाम चलेगा, वंश की वृद्धि होगी, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा और हमारे पास थोड़ी बहुत संपत्ति है तो उसका पहरेदार पैदा होगा। उपरोक्त अपेक्षाएँ कितनी अविवेक पूर्ण हैं यह विचार किया जा चुका है और जहाँ तक संपत्ति के उत्तराधिकारी का प्रश्न है समाज से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी कोई और नहीं।

यों तो आज के समय में ईमानदारी से उपार्जन और निर्वाह करने के बाद संपत्ति का अर्जन करना वैसे ही कठिन है और यह भी नोट रखना चाहिए कि आने वाला युग संपत्ति का नहीं—सद्गुणों का होगा, श्रम और सत्कार्यों का होगा। जिनके पास पैतृक संपत्ति है, उसे अपनी संतानों को सौंपे जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। माना कि अब तक उसे सुरक्षित रखा गया पर आगे भी वह सुरक्षित रहेगी इसकी क्या संभावना ? संतान यदि कुकर्मी, अपव्ययी, विलासी या खर्चीली निकल गई अथवा उसके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जुड़ गयीं जो संपत्ति को बेच डाले या हाथ से गँवा दें तो। जब यह जरा भी निश्चित नहीं है तो हमें संतान के लिए इतना लालायित नहीं रहना चाहिए।

समय बदल गया है। अब स्वर्ग संतान वालों को नहीं सीमित-संतान वालों को मिलेगा। संतान के संबंध में हमें दृष्टिकोण साफ रखना चाहिए तथा विवेक और औचित्य को स्वीकार करने के लिए आगे आना चाहिए।

इतिहास के पृष्ठ उलटें और विभिन्न विद्वानों के मतों को पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि लगभग सभी विवेकवानों ने मर्यादित प्रजनन को ही राष्ट्र की समृद्धि का कारण माना है।

प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान माल्थस ने सन् १७६८ में जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका पर एक निबंधावलि लिखी जिसमें विभिन्न प्रकार के भारी संकटों पर प्रकाश डाला गया है। अपने दूरदर्शी विचार प्रस्तुत करते हुए माल्थस ने लिखा है कि "जीवित रहने के लिए प्रकृति के अंचल में उपलब्ध आहार की तुलना में प्राणियों ने अपनी संख्या अधिक बढ़ा ली है। वृद्धि का यह क्रम निरंतर जारी है। पर जितनी मात्रा आहार की प्रकृति के आंगन में विद्यमान है उसी अनुपात में प्राणी जीवित रह सकते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ही प्रकृति-प्रकोपों का सरंजाम जुटाती तथा इस माध्यम से अनावश्यक वृद्धि में रोक-थाम करने की व्यवस्था बनाती है।"

सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रैंकलिन का कहना है कि जीव-जंतुओं एवं वनस्पतियों में स्वाभाविक रूप से बढ़ने की अद्भुत क्षमता है। यदि वे एक-दूसरे की वृद्धि में बाधक न बनें तथा बढ़ने के लिए आहार एवं स्थान की कमी न हो तो उनकी वृद्धि की कोई सीमा न होगी। इस पृथ्वी पर यदि विभिन्न प्रकार की वृक्ष वनस्पतियाँ न होतीं तथा प्रकृति ने एक प्रकार का एक ही वृक्ष लगाया होता तो भी एक वृक्ष ही अपनी उत्पादन क्षमता से इतना विस्तार कर लेता कि समस्त पृथ्वी उससे भर जाती। वनस्पतिशास्त्र विशेषज्ञ लिखते हैं कि यदि एक वृक्ष से केवल दो बीज प्रतिवर्ष उत्पन्न हों तथा वे जीवित रहें तो मात्र बीस वर्षों में एक वृक्ष से दस लाख वृक्ष हो जाएँगे। बरगद, पीपल आदि वृक्षों से कई करोड़ बीज प्रतिवर्ष पैदा होते हैं। यदि प्रत्येक को उगने के लिए स्थान, प्रकाश एवं पोषण मिलता रहे तो सभी वृक्ष बन जाएँगे। किंतु इनमें से अधिकांश गल जाते हैं। कुछ को पशु-पक्षी खा जाते हैं। जो थोड़े उगते भी हैं उनमें से शक्तिशाली अपने समीपवर्ती कमजोर को दबा देते हैं। इस तरह प्रकृति के नियंत्रण की स्वसंचालित प्रक्रिया चलती रहती है।

आधुनिक विकासवाद के जनक चार्ल्स डार्विन अपनी पुस्तक "ओरिजन आफ स्पेसीज" में लिखते हैं कि यदि पशु-पक्षियों की वृद्धि नियंत्रित न हो तो मात्र एक जोड़े जानवर के बच्चों से ही कुछ ही सदियों में सारी पृथ्वी भर जाएगी। पशु जगत में हाथी सबसे कम बच्चे पैदा करता है। उसकी आयु लगभग ५०० वर्ष आँकी गई है। ६० वर्ष की आयु के मध्य एक जोड़े से लगभग ६ बच्चे पैदा होते

हैं। यदि बच्चे न मरें सभी जीवित रहें तो एक जोड़े हाथी से मात्र ७५० वर्षों में १८ करोड़ हाथी हो जाएँगे। "जीवशास्त्री डॉ. रसेल का मत है कि सामान्यतया एक पक्षी प्रतिवर्ष ६ से लेकर १० बच्चे देता है। उनकी औसत संख्या यदि ६ मानी जाए। दो मर जाएँ तथा चार भी जीवित रहें और चार वर्षों तक बच्चे पैदा करें तो मात्र एक जोड़े पक्षी से एक करोड़ पक्षी हो जाएँगे।

पर इस तथ्य के साथ यह सत्य भी जुड़ा हुआ है कि प्रकृति ने जिस उदारता के साथ वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं को अपनी संतति बढ़ाने की सामर्थ्य दे रखी है, दूसरी ओर आहार आदि साधनों को सीमित करके इस असीम अभिवृद्धि में रोक भी लगाती है। यदि वह व्यवस्था प्रकृति द्वारा न की गई होती तो कुछ ही वर्षों में मात्र एक जोड़े पशु अथवा पक्षियों से सारी पृथ्वी भर आती। किंतु कठोर प्रकृति नियम व्यवस्था के कारण उतने ही जीवित रह पाते हैं, जितने कि सृष्टि संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यही बात वृक्ष, वनस्पतियों के संदर्भ में भी है। जीव जगत में अस्तित्व की रक्षा के लिए 'स्ट्रगल फार एक्जिस्टेन्स' एंड 'सरवाइवल ऑफ दी फिटटेस्ट' का डार्विन वादी सिद्धांत चलता रहता है। अनियंत्रित विस्तार थे नियमन एवं नियंत्रण का क्रम गतिशील रहता है। सृष्टि संतुलन को कायम रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है और उपयोगी भी। वह लाखों को एक क्षण में पैदा करती है पर अधिकांश को नष्ट-भ्रष्ट कर डालती है। करोड़ों को जीवन देती है पर दूसरे ही क्षण छीन भी लेती है।

सृष्टि का मुकुटमणि और सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी होने के नाते अन्य प्राणियों की भाँति मनुष्य प्रकृति के समक्ष पराधीन नहीं है। प्रकृति पर नियमन एवं नियंत्रण की सामर्थ्य भी उसने विकसित कर ली है। अस्तु प्रकृति के अवरोध प्रकोप, उसकी अभिवृद्धि को रोकने में एक सीमा तक ही कारगर हो पाते हैं। पहले वैज्ञानिक क्षेत्र में इतना विकास भी नहीं हुआ था। आज जैसे चिकित्सा के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। प्रकृति प्रकोपों से बचाव के लिए इतने सुविकसित संस्थान भी न थे। यही कारण था कि जनसंख्या का विस्तार अपरिमित नहीं होने पाता था। प्रकोपी महामारियों आदि द्वारा प्रकृति अनियंत्रित वृद्धि को रोकती थी। प्रकृति पर एक सीमा तक नियंत्रण

पा लेने से मनुष्य ने अपनी बुद्धि व कुशलता के सहारे सुरक्षात्मक उपाय अधिक विकसित कर लिए हैं। मृत्यु दर में भारी गिरावट और जन्म दर में असामान्य वृद्धि हुई है।

ऐतिहासिक गवेषणाओं के अनुसार औद्योगिक क्रांति के पूर्व संपूर्ण विश्व की जनसंख्या ५० करोड़ थी। चक्रवृद्धि ब्याज की भाँति क्रमशः बढ़ते-बढ़ते १६वीं सदी के मध्य तक एक अरब तक जा पहुँची। १६५६ तक ३ अरब तथा १५ वर्षों में बढ़कर चार अरब तक पहुँच गई। ऐसी संभावना है कि यदि बढ़ने की गति यही रही तो इस सदी के अंत तक विश्व की कुल जनसंख्या ६ अरब तक पहुँच जाएगी। इसमें सर्वाधिक वृद्धि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी देशों में हुई है। पुरे विश्व की तीन चौथाई अर्थात् ३/४ आबादी मात्र इन देशों में सिमटी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सन् २००० तक हर दूसरा व्यक्ति एशिया का होगा।

यों तो जनसंख्या हर देश में बढ़ी है पर विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है। मात्र ८० वर्षों के अंतराल में भारत की जनसंख्या में तीन गुने का अंतर आया है। सन् १६०१ में भारत की कुल आबादी २३ करोड़ ८३ लाख, १६११ में २५ करोड़ २० लाख, १६२१ में २६ करोड़ १३ लाख, १६३१ में २७ करोड़ ८६ लाख, १६४१ में ३१ करोड़ ८६ लाख, १६५१ में ३६ करोड़ १० लाख, १६६१ में ४३ करोड़ ६२ लाख, १६७१ में ५४ करोड़ ८१ लाख १६८१ में ६८ करोड़ ६८ लाख तथा १६६६ तक बढ़ते-बढ़ते लगभग एक अरब तक जा पहुँची है। मात्र पिछले दस वर्षों में २४-७५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड़ ५० लाख की वृद्धि जनसंख्या में हुई है।

दि गार्जियन वीकली' २६ अप्रैल, १६८१ में जेम्स कैमरीन ने भारतीय जनसंख्या की बंदोत्तरी के विषय में लिखा है कि मात्र दस वर्षों में भारत एक जापान और दो आस्ट्रेलिया पैदा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यू. एस. एस. आर. तथा इंडोनेशिया की कुल सम्मिलित आबादी मिलकर भी भारत से कम पड़ती है। कुल विश्व के क्षेत्रफल का २४ प्रतिशत भारत में है जबकि जनसंख्या का १५ प्रतिशत। इस असंतुलन की परिणति ही गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे दुष्परिणामों के रूप में परिलक्षित हो रही हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम के लिए अन्य देशों ने अपने-अपने देशों की परिस्थितियों के अनुकूल कार्यक्रम बनाए हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए कठोर कदम भी उठाए हैं। अपने यहाँ की परिस्थितियाँ तो जनसंख्या वृद्धि का अतिरिक्त भार सहन कर सकने में सर्वथा अक्षम हैं। अभी जितनी आबादी है उतनी के लिए अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा जुटा पाना कठिन पड़ रहा है और अधिक बढ़ने से तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। फिर रोकथाम की व्यवस्था कैसे बने ? अनियंत्रित प्रजनन को किस तरह रोका जाए ? इस प्रश्न का हल अभी भी व्यावहारिक स्तर पर नहीं निकल सका है। सरकारी तंत्र इस दिशा में प्रयत्नशील है और यह प्रयास करना भी चाहिए। पर इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम भी उठाए जाने चाहिए जो प्रजनन को बढ़ावा देने की रोकथाम करने में सक्षम हों। इस दिशा में कुछ रचनात्मक सुझाव ऐसे हैं जिनके कार्यान्वित करने पर आशातीत सफलता मिल सकती है।

देश में एक ऐसी विचार क्रांति की आवश्यकता है जो कामुक एवं अश्लील चिंतन की रोकथाम कर सके। नारी के प्रति कामुक एवं अश्लील चिंतन अधिक प्रजनन का कारण बनता है। अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों, साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं एवं स्वच्छंद यौनाचार के प्रतिपादनों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगे। इसके लिए आवश्यकता पड़े तो विरोध एवं संघर्ष के लिए विचारशील वर्ग का संगठन खड़ा किया जाए। नारी को वासना तृप्ति का साधन नहीं सहयोगी और सहधर्मिणी माना जाए। इसके लिए ऐसे वातावरण निर्माण की आवश्यकता है जो शृंगारिकता एवं कामुकता के तत्वों से मुक्त हो। साहित्यकार, कवि, कलाकार, गायक, प्रभृति प्रतिभाएँ नारी के प्रति पवित्रतम भाव उभारने में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा सकती हैं। ऐसे चल चित्रों एवं विज्ञापनों पर भी रोकथाम होनी चाहिए जो मस्तिष्क को उत्तेजित करते तथा कामुक चिंतन को बढ़ावा देते हों।

विवाह की उम्र बढ़ा देने से भी जनसंख्या नियंत्रण में एक सीमा तक सहयोग मिल सकता है। शरीरशास्त्रियों का निष्कर्ष है कि नारियों में प्रजनन सर्वाधिक पंद्रह और तीस वर्ष के मध्य की अवधि में होता है। उनकी प्रजनन क्षमता सत्तरह और पच्चीस वर्ष के बीच



सबसे अधिक पाई गई। अपने यहाँ कच्ची आयु में ही लड़के-लड़कियों को विवाह में बाँध देने की कितने ही स्थानों पर परंपरा है। अपरिपक्व मस्तिष्कों के मनोरंजन के लिए सबसे आकर्षक केंद्र बिंदु सेक्स बनता है जिसकी परिणति बच्चों के रूप में होती है। भारत की अधिकांशतः नारियाँ पच्चीस-तीस वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते कितने ही बच्चों की माँ बन चुकी होती हैं। किशोरावस्था का तूफानी आवेश जब कई बच्चों के रूप में प्रकट होता है, तब उन्हें अपनी गलती का भान होता है तब तक गरीबी और दरिद्रता अपना पल्ला उनके चारों ओर पसार चुकी होती है।

“शारदा एक्ट” के पास होने से बाल-विवाह अपराध की श्रेणी में आ गया है पर अज्ञानवश आज भी राजस्थान, बिहार, उत्तर-प्रदेश जैसे कितने ही प्रदेशों में यह प्रचलित है ? इस नियम की उपेक्षा अवमानना होते इन प्रांतों में सहज ही देखा जा सकता है। विवाह के लिए लड़के एवं लड़कियों की निर्धारित आयु क्रमशः २१ और १८ वर्ष है। इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। विवाह के लिए पुरुष की आयु २५ और ३० के बीच तथा नारी की २० और २५ के बीच बढ़ा देने से भी प्रजनन में बढ़ोत्तरी को रोका जा सकता है। इसके साथ ही सुशिक्षित, स्वस्थ, अनुभवी, जिम्मेदार, स्वावलंबी व्यक्तियों को ही विवाह के लिए प्रोत्साहित एवं अनुमति मिलनी चाहिए। यह नियम नर और नारी दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

लड़के-लड़की की वरिष्ठता एवं कनिष्ठता की भावना भी अपने समाज में संव्याप्त है। लड़का होने पर खुशियाँ मनाई जाती तथा लड़की पैदा होने पर दुःख प्रकट किया जाता है। उत्तराधिकार वंश परंपरा चलाने में भी लड़कों को ही मान्यता प्राप्त है। इसके कारण कितने ही व्यक्ति लड़कियाँ होते हुए भी बच्चे पैदा करते जाते हैं। जन-मानस व्याप्त इस भ्रांति का निराकरण भी होना आवश्यक है।

जनसंख्या बढ़ने के कारण ४५ प्रतिशत नागरिक गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं और ३० करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी एक हजार रुपये वार्षिक से भी कम है। ४५ करोड़ परिवारों को ज्ञात नहीं कि अगली बार भोजन कब मिलेगा ?

—जनसंख्या विस्फोट सम्हले नहीं सम्हल रहा। गत तीन दशकों में जनसंख्या जिस द्रुतगति से बढ़ी है। यदि सिलसिला इसी प्रकार

बना रहा तो निश्चय ही कंदरा निवास, घास शैवाल खाने, छाल वस्त्र पहनने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। जन-सामान्य को ज्ञात नहीं होता कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में भूमि विस्तार नहीं हो जाता और जितने भी मनुष्य बढ़ेंगे, सबकी उदरपूर्ति होनी उसी सीमित भू-भाग से है। अतः अनियंत्रित प्रजनन, प्रगति एवं संस्कृति की बलि लेकर ही टलना प्रतीत होता है।

भारत की गरीबी के भी तो अनेक कारण हैं, किंतु जनसंख्या के भारी दबाव, संपत्ति का असमान वितरण, रोजगार के साधनों का अभाव, अशिक्षा, कुरीतियाँ, श्रम की उपेक्षा, समय की बर्बादी, अपव्यय, फिजूलखर्ची, बेईमानी आदि प्रमुख हैं। इनमें सुधार किये जाने से देश की गरीबी मिटाना संभव है।

सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार देश की आबादी ६८ करोड़ की सीमा लॉघ चुकी है और १९७१ और १९८१ के दशक में १७ करोड़ २७ लाख ३४ हजार लोगों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी दशक में कृषि योग्य भूमि का विस्तार केवल ११३४४ हेक्टेयर ही हुआ है। अतः स्पष्ट है कि विस्तार की गई भूमि से १७ करोड़ २७ लाख बढ़ी हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति संभव नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या के आवास-निवास की जटिलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। भारत सरकार के निवास व निर्माण मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार देश में २ करोड़ १३ लाख ७३ हजार मकानों की कमी है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमान से ग्रामीण क्षेत्र में १ करोड़ ६५ लाख और शहरी क्षेत्र में ४८ हजार मकान तुरंत चाहिए।

जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। रोजगार केंद्रों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार फरवरी ८० तक देश में पंजीकृत बेरोजगारी की संख्या १ करोड़ ४५ लाख ६० हजार थी। जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार के रोजगार पंजीकरण की कोई जानकारी नहीं होती। वस्तुतः २० से ५० वर्ष की आयु के बेरोजगारों की संख्या ६ करोड़ से ऊपर है। भारत के विश्व-विद्यालयों से प्रतिवर्ष ५ लाख ५० हजार के लगभग स्नातक निकलते हैं। जिनमें मात्र ३.५ लाख रोजगार पाने में सफल हो पाते हैं। २ लाख इंतजार की लंबी कतार में खड़े रह जाते हैं। शहरों में १.५ करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में ४ करोड़ ८० लाख बेरोजगार हैं।

अनुमानतः इन बेरोजगारों की पंक्ति में ४० लाख बेरोजगार प्रतिवर्ष जुड़ जाते हैं। जिनमें मेडिकल, इंजीनियर, वाणिज्य, कला, विज्ञान के स्नातक और गैर-स्नातक भी सम्मिलित हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ाना अविवेकपूर्ण है।



## विवाह एक बंधन नहीं उत्तरदायित्व है

विवाह एक पवित्र उत्तरदायित्व है। गृहस्थ जीवन में सुविधाओं की अपेक्षा कर्तव्यों की कठिनता ही अधिक रहती है। जो उन कठिनाइयों पर विचार किए बिना विवाह का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लेता है वह अदूरदर्शिता करता है, जिसका परिणाम क्लेश, कलह, असंतोष तथा अशांति के रूप में ही प्रकट होता है।

क्या मेरी आयु एवं स्वास्थ्य उस उत्तरदायित्व के अनुकूल है ? मेरी वर्तमान आय उसका भार उठाने में अपर्याप्त तो सिद्ध नहीं होगी ? अपने साथ किसी लड़की की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधनों की तो कमी नहीं है ? क्या हमारे पास वह बलबूता है, वह परिश्रमशीलता और योग्यता मौजूद है जिसके बल पर हम अभाव को अपने घर में घुसने न देंगे। क्या छोटी-छोटी बातों की उपेक्षा और कलह अथवा अशांति के अवसरों को टाल जाने योग्य सहिष्णुता वर्तमान है ? क्या हमने अपना दृष्टिकोण इतना विकसित कर लिया है जिससे अपने तथा पत्नी के अधिकारों के बीच संतुलन कायम रख सकें ? हमसे कोई ऐसी दुर्बलता अथवा व्यसन तो नहीं है जो हमारे तथा हमारी पत्नी के बीच स्निग्ध संबंधों में व्याघात उत्पन्न करे ? क्या हमने आचरण तथा चरित्रों में पत्नी व्रत के योग्य दृढ़ता एवं विश्वास उत्पन्न कर लिया है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस मस्तिष्क में वह अहंकार निवास कर रहा है जो पुरुष एवं नारी, पति तथा पत्नी के बीच विषय भाव को प्रोत्साहित करता है और अपने लिए अग्रस्थ स्थान रखने और पत्नी को पीछे ढकेले रहने की प्रेरणा देता है ? हममें उस उदारता की

कमी तो नहीं जिसके आधार पर पत्नी को दासी, सेविका, सहायिका, सहधर्मिणी, गृह-स्वामिनी तथा गृहलक्ष्मी मानकर आदर देने में सुख अनुभव हों ? हमारा स्वभाव नीरस, कर्कश/ कटु अथवा स्वार्थी तो नहीं है ? इस दांपत्य जीवन के लिए अपेक्षित स्नेह, सौहार्द, माधुर्य एवं सरसता की आवश्यक मात्रा भी है अथवा हम मरुस्थल की तरह नीरस एवं शुष्क ही हैं—आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर विवाह से पूर्व खूब गहराई से विचार कर ही लेना चाहिए। इन पर विचार किए बिना केवल सुख की संभावना से दांपत्य जीवन में सहसा बंध जाना अदूरदर्शिता ही है ऐसे ही असाहसिक तथा अदूरदर्शी व्यक्तियों का दांपत्य जीवन प्रायः असफल ही रहता है। असफल गृहस्थ से जिन शोक-संतापों तथा कलह क्लेशों का जन्म होता है, उनकी अशांति तथा उनका पश्चात्ताप आजीवन नारकीय यातना से पीड़ित रखता है।

इन प्रश्नों पर विचार कर लेने, अपनी स्थिति तथा परिस्थिति को देख-समझ लेने और जो कमियाँ हैं उन्हें पूरी कर लेने के बाद ही विवाह बंधन में बंधना दूरदर्शिता है। ऐसे दूरदर्शी व्यक्तियों का ही विवाहित जीवन सफल तथा सुखमय बना करता है और ऐसे ही बुद्धिमान सफल तथा शांत गृहस्थ, परिवार तथा घर पृथ्वी पर स्वर्ग का निदर्शन उपस्थित किया करते हैं। विवाह करना है, करना चाहिए किंतु अपेक्षित दूरदर्शिता के साथ।

संतान की आवश्यकता है उसे होना भी चाहिए। उससे वंश चलेगा, बुढ़ापे में सुख मिलेगा और 'पु' नामक नरक से त्राण होगा। समाज में संतान वाले कहे जायेंगे। स्वयं का पुंसत्व तथा पत्नी का उर्वरत्व प्रमाणित होगा। घर में चहल-पहल रहेगी, पास-पड़ोस में दबाव रहेगा। इस आधार पर संतान की कामना एवं उसकी पूर्ति करते रहना अभिमानजन्य बड़ी ही स्थूल अदूरदर्शिता है। इन थोथी कल्पनाओं से प्रेरित होकर जो व्यक्ति संतान पर संतान उत्पन्न किए जाते हैं, वे न केवल अपने लिए ही बल्कि समाज के लिए भी संकट की संभावना बढ़ाते चले जाते हैं।

संतान दांपत्य जीवन का फल अवश्य माना गया है। पर साथ ही यह सुफल भी हो सकता है और कुफल भी। निश्चय ही जो अदूरदर्शी दृष्टिकोण से ग्रस्त इन फलों को बढ़ाते ही चले जाते हैं,

उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि कदाचित ही उनके ये फल मीठे तथा मधुर हों और उनका स्वाद चखने के लिए तैयार रहना चाहिए।

लड़के-लड़कियाँ पैदा हो जाने से ही कोई संतानवान नहीं हो जाता। जिन वृक्षों के फल उपयोगी, सुंदर तथा स्वास्थ्यदायक नहीं होते वे फलोत्पादक होने पर भी फलवान नहीं माने जाते। संतानवान होने का गौरव पाने के लिए सत्संतानों का होना आवश्यक है। स्थिति से अधिक संतानों का जमघट लगा लेने से, घर में भीड़ इकट्ठी कर लेने से, यदि कोई संतान का सुख चाहता है तो वह गधे के सिर पर सींग खोजने जैसी बात करता है। संतानों का उत्पादन खूब सोच-समझकर ही करना चाहिए। दूरदर्शी व्यक्ति अनेक अयोग्य संतानों की अपेक्षा एक योग्य संतान में ही अपना अहोभाग्य मानता है। अधिक संतानें उत्पन्न करते रहने के पश्चात् जो परिणाम सामने आते हैं, फिर उनसे निपटते नहीं बनता और आधे से अधिक जीवन घोर अशांति, असंतोष, कुढ़न तथा कुंठा में बिताना पड़ता है। अदूरदर्शी संतानोत्पादकों का बुढ़ापा तो असहनीय स्थिति में जल-जलकर नष्ट होता है। जिस अंतिम आयु में सुख-शांति की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वही सबसे अधिक शोक-संतापों में बीतती है।

संतानों की परंपरा लगा देने से पूर्व इस बाब पर गंभीरता-पूर्वक विचार कर लेने में दूरदर्शिता है कि हमारी स्थिति एवं हमारा तथा विशेषतौर पर पत्नी का स्वास्थ्य कितनी संतानों के पालने, पढ़ाने तथा सुयोग्य बनाने के योग्य है ? क्या जिन संतानों को हम उत्पन्न करने की सोच रहे हैं; उन्हें सुसंस्कारी, सुशील तथा सभ्य बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आंतरिक तथा बाह्य व्यवस्था को ठीक कर दिया है ? क्या हमारे पास इतना व्यवसाय एवं व्यापार है अथवा भविष्य में हो सकता है जिसके आधार पर अपनी आगामी संतानों को काम-धंधे से लगाकर आवारा होने से बचा लेंगे। यदि इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास स्वीकारात्मक नहीं है तो निश्चय ही आप प्रजनन बढ़ाकर अदूरदर्शिता की गलती कर रहे हैं।

निरुद्देश्य एवं निरर्थक संतानें पैदा करने वाले पत्नी का स्वास्थ्य तो स्वाहा कर ही डालते हैं, साथ ही अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी आँच दिखाते हैं। इस बात की तैयारी करते हैं कि आगे चलकर आपकी अयोग्य संतानें आपके बुढ़ापे की लकड़ी न

बनकर किए का फल देने के लिए पीड़क दंड बन जाएँ। वे आपको अशक्त, निरुपयोगी तथा निर्धन समझकर अवज्ञा का व्यवहार करें। जो कुछ आपके पास है, वह नोंच-खसोट कर खा डाले और आप दोनों एक किनारे पड़े रोते-धोते अपने भाग्य को कोसा करें। सुव्यवस्थित तथा सुसंस्कृत एवं शिक्षित न बनाई जा सकने वाली संतानें समाज वंश में कितनों का नाम ऊँचा किया करती हैं, यह आये दिन देखा जा सकता है। कोई भी दूरदर्शी व्यक्ति प्रारंभिक अहंकार की तुष्टि की अपेक्षा, संतानों के संबंध में पश्चाताप, अभिशापों से अधिक सतर्क रहते हैं और एक दो सत्संतानों की कामना में ही तृप्त हो जाते हैं।

दूरदर्शी उन परिस्थितियों को भी देखता है कि धन के अभाव में संतानें अवज्ञा कर सकती हैं, गुणों का तिरस्कार हो सकता है, अकाल तथा भुखमरी की स्थिति आ सकती है। वे जानते हैं कि एक निर्धनता का दोष हजार व्याधियों को जन्म दे देता है। विपत्तियाँ, संकट तथा दुर्दिन कहकर नहीं आते और जब वे आ पड़ते हैं तो पास का पैसा सगे-संबंधियों से भी अधिक सहायक सिद्ध होता है। पैसे के अभाव में उस साहस का भी अभाव हो जाता है, जो भवितव्यताओं से टक्कर लेने के लिए आवश्यक होता है। आय को बढ़ाते रहना और व्यय को नियंत्रित रखना दूरदर्शिता है और एक ऐसी आवश्यक दूरदर्शिता जिसे हम सबको अपनाना तथा प्रयोग में लाना ही चाहिए।



## भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक—दहेज प्रथा

हमारे समाज को नैतिक रूप से खोखला और आर्थिक रूप से कमजोर कर देने वाली कुप्रथाओं में दहेज प्रथा की जितनी भी निंदा-भर्त्सना की जाए कम है। दहेज विरोधी अधिनियम होने के बावजूद भी यह कुप्रथा क्यों बनी हुई है ? यह विज्ञ समाज के लिए विचारणीय तथ्य है। समाजशास्त्रियों का कहना है कि दहेज की

व्यापक महामारी मानवी-मूल्यों के हास के कारण फैली है—अर्थ को अत्यधिक प्रमुखता दिये जाने की जन-मान्यता के कारण प्रत्यक्ष न सही, परोक्ष रूप से वह बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि विचारशील वर्ग में कुछ जागृति आई है और वे दहेज के प्रति आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी यह अभिव्यक्ति प्रायः कन्या के विवाह के समय देखने में आती है, लड़के के विवाह का अवसर आते ही उनकी भी लोभ वृत्ति जाग पड़ती है और लड़के के पालन-पोषण, शिक्षा आदि में व्यय की गई धनराशि को ब्याज सहित वसूलने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि सभी लड़के वालों की विवाह के समय यही मनोवृत्ति होती है किंतु बिना माँग-जाँच के शादी करने वालों की संख्या दहेज लेने-देने वालों की तुलना में नगण्य ही मिलेगी।

विवाह में दहेज कम मिलने के कारण कितनी ही हत्याओं की दर्दनाक घटनाएँ होती रहती हैं शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता होगा जिस दिन समाचार-पत्रों में इस तरह के अमानवीय कृत्यों की घटनाएँ न छपती हों।

१७ नवम्बर १९८१ के दैनिक हिंदुस्तान के अनुसार आगरा जिले के थाना डाकी के अंतर्गत आने वाले गाँव कछपुरा में एक युवा पत्नी को उसके पति, सास व ससुर ने जिंदा ही गाँव की सीमा पर स्थित एक ट्यूबवैल के कुएँ में ढकेल दिया और ऊपर से एक कनस्तर भर डीजल डालकर आग लगा दी। युवती जलकर माँस का लोथड़ा बनकर रह गई।

बताया जाता है कि इस हत्या के वीभत्स दृश्य को मृतका के भाई ने स्वयं अपनी आँखों से देखा जो अचानक ही अपनी बहिन के कुशल समाचार जानने के लिए उस गाँव की ओर आ रहा था। पुलिस में नामदर्ज लिखाई गई रिपोर्ट से पता चला कि विवाह के बाद से ही युवती के ससुराल वाले उसे दहेज कम लाने के कारण उत्पीड़ित करते थे, जिससे वह कई महीनों से मायके में रह रही थी। गत दीपावली के एक दिन बाद दोनों पक्षों में समझौता होने के पश्चात् वह ससुराल गई थी।

२४ नवंबर, १९८१ के नवभारत टाइम्स में एक ऐसा ही समाचार छपा था। आगरा के अतिरिक्त जज श्री ओ. पी. सिंह ने राम प्रकाश

नामक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी। दहेज कम होने के कारण उसने अपनी पत्नी मीना की भी हत्या कर दी थी। हत्या में मदद करने के आरोप में रामप्रकाश की माँ प्रेमवती और भाई ओमप्रकाश को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मीना के पिता इंदौर में एक छोटे कपड़े के व्यापारी हैं, उनके छह लड़कियाँ और हैं। कहा जाता है कि मीना के ससुराल वाले विवाह में दिए गए गहने, कपड़े, बर्तन आदि से संतुष्ट नहीं थे। उस पर बार-बार रुपया पैसा लाने के लिए दबाव डाला जाता था।

२५ सितंबर, १९८१ के दैनिक भागीरथी संदेश में छपे समाचार के अनुसार सहारनपुर की पंजाबी कालौनी पटेल नगर में श्रीमती भूपिंदर कौर नामक युवा पत्नी को जिंदा जला दिया गया। पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार युवती के पति, सास-ससुर व ननद ने उसे दहेज कम लाने के कारण जीवित जला दिया। वे उसे लंबे समय से उत्पीड़ित करते चले आ रहे थे तथा उसके माता-पिता के घर जाने अथवा चिट्ठी-पत्री लिखने तक पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था।

२५ नवंबर, १९८१ के पंजाब केसरी दैनिक में प्रकाशित समाचार तो दिल हिला देता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दहेज-लोलुपों द्वारा निर्दोष युवतियों की गत दिनों एक के बाद एक हत्याएँ की गईं। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस जिले में गत वर्ष लगभग दो दर्जन महिलाएँ दहेज की बलि पर चढ़ाई जा चुकी हैं। इसी जनपद के ग्राम चकवाली के शुगन ने थाना झबरेडा में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके दामाद रणवीर सिंह एवं उसके परिवार के सदस्यों ने साँठ-गाँठ करके उसकी लड़की लीलावती को जहर देकर हत्या इसलिए कर दी कि उसने दहेज कम दिया था। पुलिस ने लीलावती के पति रणवीर सिंह एवं उसके परिवार के कुँवरपाल, बूँदीराम, रामस्वरूप व ब्रह्मपाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

ऐसी ही घटना का विवरण इसी समाचार में और छपा है। सहारनपुर के ही दावकी गाँव के निवासी कुँवरपालसिंह ने मंगलौर थाने में अपने चाचा की लड़की मिथिलेश की हत्या की रिपोर्ट लिखाई जिसके अनुसार मिथिलेश की शादी लंदौरा गाँव के राजेन्द्र से हुई थी। शादी में दहेज कम मिलने के कारण उसका पति व



परिवार के सदस्य उसे परेशान करते थे। मौका पाकर उन्होंने उसे जहर देकर मार डाला और उसकी मृत्यु तक को छिपाने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले के रहस्य को खोज ही लिया पर मृतका के संतप्त परिवार को वे सांत्वना तो न दे सके।

३ दिसंबर, १९८१ के दैनिक हिंदुस्तान में छपी घटना तो सभ्य समाज के माथे पर पैशाचिकता का कलंक है। मुजफ्फरनगर के श्री ब्रजलाल की पुत्री पूनम की हत्या बड़े ही रहस्यात्मक ढंग से कर दी गई। इसमें उसके पति का ही हाथ बताया जाता है। पूनम अर्थशास्त्र विषय में एम. ए. तथा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि कौशलों में प्रवीणता प्राप्त किए हुए थी। उसकी शादी मध्य प्रदेश के कटघोरा में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत राकेश गोयल के साथ हुई थी। विवाह के चार माह बाद ही दहेज रूपी दैत्य ने उसे ग्रस लिया।

पूनम की मृत्यु का समाचार फैलते ही पूरे नगर में शोक का वातावरण व्याप्त हो गया। कई सामाजिक संगठनों द्वारा इस कुकृत्य पर रोष व्यक्त किया गया तथा अनेक मौन जुलूसों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। एक जनसभा में पूनम की माता ने जब कथित हत्या का विवरण दिया तो अनेक महिलाओं व पुरुषों की आँखों से आँसू झरने लगे। शोक-विह्वल हो जाने के कारण कई वक्ता अपना मंतव्य व्यक्त न कर सके। कोतवाली इंसपेक्टर महोदय ने ऐसी घटनाओं को समाज का कलंक कहा और इनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने का आह्वान किया।

दहेज के दानव के उत्पीड़न के कारण कितनी ही नव वधुएँ अत्याचार सहने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझती हैं और आत्महत्या करके उत्पीड़न से छुटकारा पाने का उपाय अपनाती हैं। आँकड़े बताते हैं कि विगत ५६ वर्षों में महिलाओं द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। इनके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं किन्तु बहुतायत ऐसी घटनाओं की होती है जिनके मूल में किसी न किसी प्रकार कम दहेज के कारण ताना, व्यंग, उत्पीड़न आदि का ही हाथ होता है। गत वर्ष १८ नवंबर के एक दैनिक पत्र के अनुसार अकेले दिल्ली नगर में २५ से ४४ वर्ष की आयु वर्ग में आग से जलकर मरने वालों में महिलाओं की संख्या

पुरुषों की अपेक्षा दुगनी हो गई है। दिल्ली प्रशासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष १९८० के दौरान आग में मरने वालों में पैसठ प्रतिशत महिलाएँ थीं जिनमें से अधिकांश २५ से ४४ वर्ष की आयु वर्ग की विवाहिताएँ थीं।

उत्तर प्रदेश के ही एक गाँव की घटना इससे मिलती-जुलती है। वहीं के संग्रान्त कहे जाने वाले परिवार की नव-वधू प्रेमवती ने पास की नदी में कूदकर अपनी जान गँवा दी। दूसरे दिन पड़ोस के गाँव वालों ने लाश को देखकर स्थानीय थाने में सूचना दी। प्रमाणों के न मिल पाने में पुलिस कोई कार्यवाही न कर सकी। प्रेमवती के ससुराल वालों ने उसे दफना दिया। पीछे हुई खुश-फूस से यही ज्ञात हुआ कि प्रेमवती के ससुराल वाले उसके विवाह में मिले वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि से असंतुष्ट थे और उसे तरह-तरह से ताने देकर उत्पीड़ित किया करते थे।

विवाह का मूल अभिप्राय यदि सुरक्षित नहीं रखा जा सके तो विवाह संस्था के प्रति भारतीय जनमानस में आज भी जो सम्मान सुरक्षित है, वह अधिक दिन टिकने वाला नहीं, क्योंकि शिक्षा और समझदारी के विकास के कारण अब कोई भी पक्ष आँख मूँदकर, चुपचाप किन्हीं व्यवस्थाओं को पवित्र स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

अभी पिछले ही दिनों दिल्ली में घटी एक घटना ऐसी ही विवेक जागृति का एक उदाहरण है। ब्रिटेन में रह रही एक भारतीय कन्या के विवाह के लिए दिल्ली के अखबार में विज्ञापन दिया गया। ज्योतिषियों को जन्म-पत्री दिखाकर मुहूर्त-विचार, गुण-विचार करते रहने का समय और आकर्षण अब जागरूक वर्ग के यहाँ शेष नहीं है इसलिए अब तो समाचार पत्र ही ज्योतिषियों का और लड़का-लड़की ढूँढने-खोजने वाले संबंधियों-नातेदारों का आधा दायित्व निभाने लगे हैं।

कन्या ब्रिटेन वासिनी यह पढ़-जानकर सैकड़ों विदेश-गमनार्थी पाणिप्रार्थी डॉक्टरों-इंजीनियरों ने विज्ञापन के उत्तर में अपने को प्रस्तुत करते हुए निर्दिष्ट पते पर पत्र भेजे। माता-पिता ने दामाद के चयन में जब बिटिया की पसंद जाननी चाही तो वे उनके अप्रत्याशित उत्तर से अवाक् रह गए। उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं इनमें से एक

से भी विवाह नहीं करूँगी, क्योंकि इन सभी के पत्र पढ़ने के बाद, मुझे सबमें एक ही चाह झाँकती दीखी कि वे विदेश में बसने का अवसर पाकर चूकना नहीं चाहते। ये विदेश-लोभी मुझमें, मेरे व्यक्तित्व की विशेषताओं में कोई रुचि नहीं रखते। इनकी विदेश जाने की ललक पूरी हो गई तो फिर इन्हें मुझमें क्या रुचि रह जाएगी ? ये तो वहाँ के रंगीन वातावरण में ही डूबते चले जाएँगे। मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे गुणों के आधार पर मुझसे विवाह का आकांक्षी बने।

दिल्ली की ही एक ताजी खबर यह है कि वहाँ विगत एक माह में तीन महिलाओं की हत्या उनके अपने ही संबंधियों ने कर दी। तीनों अलग-अलग हत्याओं के पीछे कारण एक जैसे ही थे। उनके ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कम सामान लाए जाने से असंतुष्ट थे। ये तो देश की राजधानी के मामले थे, सो प्रकाश में भी आए, इन्हें लेकर आवेश-आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई। सुदूर गाँवों में तो ऐसी घटनाएँ आए दिन होती ही रहती हैं। हाँ इस बार यह जरूर हुआ कि दिल्ली की घटनाओं ने संगठित जन-आक्रोश को जन्म दिया और बढ़ते हुए जनमत के दबाव से सरकार को एक नया कदम उठाने का विचार करना पड़ा कि संसद में ऐसा विधेयक लाया जाए, जिसमें दहेज एक ऐसा अपराध घोषित हो, जो पुलिस हस्तक्षेप के योग्य हो। अभी तक ऐसा नहीं था और सूचना मिलने पर भी पुलिस दहेज लेने-देने के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती थी। इस कानून के बन जाने पर भी पुलिस कितना क्या कर पाएगी यह तो आगे ही ज्ञात होगा। किंतु ऐसा लगता है कि विवाह के अवसर पर भिक्षा पात्र लेकर खड़े हो जाने वाले लड़कों को जब कन्याएँ स्वयं ही अस्वीकार करने लगेंगी और यह प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर फैल जाएगी, तभी शायद इन भिखारियों में आत्मग्लानि का भाव पैदा हो। कितना अच्छा हो, यदि यह स्थिति आने के बहुत पहले ही विवाह के अभिप्राय को ठीक से समझा जाए और उसका नया स्वस्थ सामाजिक स्वरूप विकसित किया जाए।

जब तक विवाह के इस मूल प्रयोजन के अनुरूप उसका सामाजिक स्वरूप नहीं विकसित होगा कि दो मित्र साथ-साथ रहकर जीवन की नाव खे सकें और समस्वरता के साथ आदान-प्रदान के

भाव से जीवन-यात्रा में आगे बढ़े, तब तक विवाह एक ऐसी काम चलाऊ व्यवस्था ही मात्र बना रहेगा जो चल तो रही है, पर जिसके कल-पुर्जे ढीले हो चुके हैं और घिस चुके हैं।

दांपत्य-जीवन की सफलता गुण-कर्म, स्वभाव की समस्वरता पर ही आश्रित है और रहेगी। इससे कम में बात बनेगी नहीं। मन ही न मिला तो एक ही घर में साथ रहने से भी क्या बनता है ? चूहे-बिल्ली भी तो कई घरों में साथ-साथ रहते हैं।

आज जो सुशिक्षित माता-पिता लड़की के समान ही वर ढूँढ़ने की सतर्कता बरतते भी हैं। वे मात्र भौतिक समानता-धन, आजीविका, रहन-सहन के स्तर की समानता तक ही देख और सोच पाते हैं। किंतु समानता के ये आधार बहुत ही उथले हैं। स्वभाव और गुण-कर्म की विषमताएँ ऐसी भौतिक समानताओं को निरर्थक बना देती हैं।

लड़कियों के माता-पिताओं को यह सदैव याद रखना चाहिए कि उन्हें कन्यादान करना है। दान सदैव सत्पात्र को किए जाने पर ही लाभप्रद होता है, यह तथ्य सर्वविदित है। कन्या का दान उसे ही करना चाहिए, जिसे कन्या की सर्वाधिक जरूरत है। जिसे कन्या से अधिक दहेज की वस्तुओं और सुविधाओं की जरूरत है, उसे कन्यादान देने का कोई औचित्य नहीं। अपितु ऐसा करने में दोष ही है। यदि उस व्यक्ति को दान देने का आकर्षण मन में उमड़ता ही है तो उसे यों ही वस्तुएँ दान में दे दें। पर कन्या देने का तो कोई तुक नहीं। कन्या उसे दें, जिसे उसकी जरूरत है। जो अपने आत्मिक विकास के लिए, जीवन-यात्रा में साहचर्य के लिए उसकी अत्यधिक आवश्यकता अनुभव करे, वही कन्यादान का पात्र है।

खुद लड़कों को तथा उनके माता-पिता को तो यह तथ्य अब समझ ही लेना चाहिए कि सामाजिक जागरूकता के विकास के इस क्रम में, उनकी संकीर्णता उन्हें बाहर निंदा और अवमानना का पात्र बनाएगी तथा घर के भीतर कलह-कटुता का कारण बनेगी। सुख-चैन से वे भी बैठ नहीं पाएँगे। इसलिए धन, रूप या अन्य कोई भौतिक आकर्षण अपनी पसन्द का आधार न रखें। अन्यथा हर हालत में पछतावा ही हाथ लगेगा। रूप और धन के मापदंड ओझे एवं खोटे हैं। गुण-दोषों के आधार पर लिए गए निर्णय ही ठीक उतरते हैं।

यों सच बात तो यह है कि धन-रूप के आधार पर की गई परख तो ओछी ही है, गुण-स्वभाव के आधार पर की गई परख भी अधूरी है। विवाह की सफलता का एकमात्र सूत्र है—विवाहकांक्षी में दूरदर्शिता और सदाशयता का, सद्भाव और संतुलन का होना, ताकि ताल-मेल बिठाने के प्रयास कभी भी छोड़े न जाएँ। उदारता, विश्वास, आत्मीयता की सघन संवेदनाएँ जहाँ हैं, वहीं विवाह-संस्था में प्रवेश की पात्रता मानी जानी चाहिए। इस दुनियाँ में कोई भी सुख बिना कुछ भी मूल्य चुकाए नहीं मिलता। विवाह सुख की कीमत चुकाने को तैयार लड़के-लड़कियों को ही विवाह-संस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वे लड़के जो विवाह को दहेज के नाम से मुफ्त का बटोरने, यौन-सुख के लिए एक चेतन मशीन प्राप्त करने और उस पर अधिकार प्रदर्शन कर अपनी आत्महीनता की भावना को हल्की करते रहने के लंबे समय के बंदोबस्त का बढ़िया अवसर समझते हैं, उन्हें यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि यह सब बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिल सकता। इसकी प्रतिक्रिया में, उनकी जीवन सहचरी के मम में उनके प्रति तिरस्कार की भावना दृढ़ होगी। भले ही वह उसे सामान्यतः वाणी से प्रकट न करे, पर गृहस्थ जीवन में इस आंतरिक अवज्ञा और कटुता की छाप पड़नी अवश्यंभावी है। साथ ही, पत्नी को अपने से हीन स्तर का समझने की कुटिल एवं अन्यायपूर्ण भावना पति की आत्मा को भी पतित बनाती है और वह समाज में व्याप्त इसी तरह की अन्य विषमताओं, विसंगतियों, अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह-प्रतिरोध का साहस जुटा पाने में असमर्थ रहता है तथा इस प्रकार उस तेजस्विता से वंचित ही रहता है, जो मनुष्य की गरिमा है। इसी प्रकार जो लड़कियाँ विवाह को खाने-पीने, मौज-मजा मारने, ओढ़ने-पहनने, घूमने, मनोरंजन करने की सुनिश्चित व्यवस्था समझती रहती हैं, उनका भ्रम तो विवाह के कुछ ही दिनों बाद चकनाचूर हो ही जाता है, महत्त्वाकांक्षाओं की क्षुद्रता के कारण ये उस ढर्रे से भिन्न किसी जीवन क्रम की कल्पना भी तो नहीं कर पातीं और रोती-झींकती वहीं पड़ी रहने के सिवाय और कुछ उन्हें सूझ ही नहीं पड़ता।

अतः आवश्यकता विवाह के इन प्रचलित विकृत मानदंडों को यथाशीघ्र बदलने की और नए स्वस्थ संतुलित यथार्थपरक मानदंडों

को अपनाने की है। तभी विवाह-संस्था सार्थक और सुखद सिद्ध हो सकती है।

देखा जाए तो देश में ऐसा कोई भी विचारशील नहीं होगा जो दहेज प्रथा की आलोचना भर्त्सना न करता हो। शायद ही कोई समझदार व्यक्ति सैद्धांतिक दृष्टि से इसका समर्थक हो। आए दिन इस कुप्रथा के विरोध में गोष्ठियाँ आयोजित होती, चर्चाएँ चलती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर समय-समय पर लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं, जिनमें दहेज की कटु आलोचना की गई होती है। गोष्ठियों एवं चर्चाओं तक सीमित न रहकर दहेज लेने एवं देने को कानूनन भी अपराध घोषित किया गया है। ऐसा कृत्य करने वालों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने का भी प्राविधान है।

इतने पर भी देखा गया है कि यह कुप्रथा यथावत बनी हुई है। प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से रकम दहेज में दिए बिना लड़कियों का विवाह होना कठिन पड़ रहा है। कारण क्या है कि दहेज प्रथा के विरोध में इतनी आवाज उठते हुए भी उसका उन्मूलन संभव नहीं हो पा रहा है। फलतः दहेज न दे पाने के कारण कितनी ही लड़कियों को लंबी आयु तक अविवाहित रहना पड़ता है, माँग के अनुरूप रकम न मिलने पर विवाह के उपरांत भी कितनों को उत्पीड़न एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। धन के लालचियों, लोलुपों द्वारा कितनी ही नारियों को माँग की आपूर्ति न होने पर जलाने, मार डालने तक की घटनाएँ आये दिन प्रकाशित होती रहती हैं। निरंतर उपेक्षा, तिरस्कार एवं प्रताड़ना न सह पाने के कारण कितनों को मुक्ति के लिए आत्म हत्या के लिए विवश होना पड़ता है। जहाँ यह स्थिति नहीं आने पाती वहाँ लड़की के विवाहोपरांत उसके माता-पिता के साथ लंबे समय तक के लिए गरीबी का अभिशाप जुड़ जाता है जिसके पास से वे दीर्घकाल तक नहीं निकल पाते। विवाह का सुयोग न बन पाने के कारण भी कितनी ही लड़कियाँ आत्म ग्लानि की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या का अवलंबन लेती देखी गयी हैं। दहेज की कुरीति के कारण देश में युवतियों की हत्या एवं आत्महत्या की घटनाओं में किस तेजी से वृद्धि हो रही है, यह समाचार पत्रों के अवलोकन से पता चलता है। प्रस्तुत हैं कुछ लोमहर्षक घटनाएँ जिनमें दहेज के लोभियों ने माँग के अनुरूप

धन-राशि न मिलने पर निरपराध देवियों को निर्ममता और निष्ठुरतापूर्वक मार डाला।

'पलवल' के निकट बारह कि. मी. दूर स्थित गाँव 'हरफली' की २१ वर्षीय युवती श्रीमती शीला देवी की हत्या दहेज की राशि न मिलने पर कर दी गई। शीला के भाई श्री जयदेव, नबावसिंह तथा बीरेंद्रसिंह ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनकी बहिन को ससुराल वाले दहेज को लेकर पिछले कई माह से उत्पीड़ित कर रहे थे और अंततः उन्होंने गला घोटकर हत्या कर ही दी। दैनिक पत्र भास्कर २६ जुलाई, ८१ में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार बदायूँ में २५ जुलाई ८१ को पंजाबी क्वार्टर के निवासी श्यामलाल तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर नव-विवाहिता की जलाकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि पति-पत्नी के बीच दहेज की राशि को लेकर लंबे समय से अनबन चल रही थी। धन न मिलने से ससुराल वालों ने एक कमरे में युवती को बंद कर दिया तथा मिट्टी का तेल छिड़ककर शरीर में आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर मुहल्ले में भीड़ एकत्रित हुई। कमरे का दरवाजा तोड़कर अघजले शरीर को अस्पताल पहुँचाया गया। जहाँ पहुँचकर उसने दम तोड़ दिया। मरने के पूर्व पुलिस को दिए गए एक बयान में उसने आग लगाकर पति आदि द्वारा आत्म हत्या के प्रयास की पुष्टि की। बयान के आधार पर श्यामलाल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

'नव भारत टाइम्स' दैनिक पत्र के अनुसार फरुखाबाद से ५० कि. मी. दूर 'सारिख' थाने के पुरशेर गाँव में भी इसी प्रकार एक विवाहिता की निर्ममता पूर्वक जलाकर हत्या कर दी गई। मृत युवती के भाई द्वारा पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी बहिन की शादी पाँच छह वर्षों पूर्व श्रवण कुमार नामक एक व्यक्ति से हुई थी। घटना के दिन उसकी बहिन को मार-पीटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया तथा मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हत्या का कारण दहेज का न मिलना बताया जाता है। दैनिक पत्र 'हिन्दुस्तान' जुलाई, ८१ में एक ऐसी ही घटना दहेज की माँग पूरी न होने से जलाकर मारने की प्रकाशित हुई। मृत युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि बहिन के

ससुराल वाले सोने की जँजीर और एक गाय की माँग कर रहे थे। मेरे घर की स्थिति देने योग्य न थी। नाराज होकर मेरी बहिन को ससुराल के लोगों ने जलाकर मार डाला। सहारनपुर २६ अगस्त ८१ को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि मुहल्ला खान आलम पुरा में एक १६ वर्षीय नव विवाहिता फूल बानो की हत्या उसके शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर कर दी गई। मृत पुत्री के समक्ष बिलखती हुई उसकी माँ ने कहा कि "हमसे स्कूटर तथा सोने के आभूषण लड़के ने माँगे थे, जिनकी आपूर्ति कर सकना आर्थिक विपन्नता के कारण संभव न था। मेरी लड़की की हत्या इन निर्दयियों ने इसलिए कर दी।"

'रुड़की' १ जुलाई स्थानीय पुलिस ने एक २१ वर्षीय नव विवाहिता की हत्या दहेज न मिलने पर करने के आरोप में ससुर, सास, पति तथा देवर आदि को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवती राजबाला के ऊपर उसके घर वाले अपने माता-पिता से स्कूटर माँगने के लिए दबाव डाल रहे थे। एक दिन इसी बात को लेकर उन्होंने राजबाला को इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। भेद खुल न जाए इस डर से रात को चुपके से लाश गंगा नहर में फेंक दी गई बाद में जब राजबाला के लापता होने की अफवाह फैली तो पुलिस ने शव को नहर से बरामद कर लिया तथा हत्या के आरोप में घर वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

'खैरथई', २६ मई, १९८१ 'हिन्दुस्तान' दैनिक पत्र ३० मई, १९८१ में प्रकाशित समाचार के अनुसार मुंडावर कस्बे में एक महिला को गर्म चिमटे एवं लोहे के सलाखों से गोदकर ससुर तथा देवर द्वारा हत्या करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि शादी के अवसर पर भगवती के अभिभावकों ने माँग के अनुरूप धन न दिए जाने से उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया, निर्ममता इस सीमा तक पहुँची कि एक दिन उसे गर्म सलाखों के प्रहार से बेहोश कर दिया गया। मरणासन्न स्थिति में खबर मिलने पर भगवती के माता-पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। कई दिनों तक उपचार चलने के बाद भी किसी तरह उसकी जान न बची। भगवती के भाई ने संबंधित पूरी घटना की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में रोते-रोते लिखाई। रिपोर्ट



के आधार पर पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हत्या के आरोप में जेल भेज दिया।

दहेज के कारण हत्या करने के अभियोग में मेरठ के प्रभावी सेशन जज श्री जे. के. माथुर ने मृत श्रीमती कुसुम की सास सावित्री की जमानत लेने से इंकार कर दिया। हिन्दुस्तान दैनिक पत्र में छपे विवरण के अनुसार ७ जून १९८१ को कुसुम ने एक पत्र अपने पिता को लिखकर ससुराल के लोगों द्वारा पैसे की माँग को लेकर निरंतर तंग किये जाने से अवगत कराया। १० जून को उसके पिता वस्तुस्थिति का पता लगाने कुसुम के घर पहुँचे पर इसके पूर्व ही ६ जून को कुसुम अग्नि की ज्वाला में दम तोड़ चुकी थी। सहारनपुर के श्रमिक नेता श्री सरदार लाभसिंह जखी ने अपनी पुत्री ३० वर्षीय भूपिंदर कौर को जलाकर हत्या किए जाने का विवरण दिया है। सरदार लाभ सिंह के छपे वक्तव्य के अनुसार, 'मेरी पुत्री ने कई बार मुझ से कहा था कि पैसे के लोभी उसके पति तथा परिवार के अन्य सदस्य मिलकर किसी दिन उसकी हत्या न कर दें।' मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। पर मेरी लड़की का संदेह सच निकला। एक मित्र द्वारा सूचना मिली मेरी पुत्री भूपिंदर कौर को उसके घरवालों ने हत्या कर दी है। जाकर देखा तो भूपिंदर कौर के जले शरीर को बाँधकर कार द्वारा किसी अज्ञात स्थान ले जाया जा रहा है। मेरा हृदय रो पड़ा। पुत्री की हृदय-विदारक स्थिति देखकर मैं कार के आगे लेट गया। तब तक अन्य पड़ोसी भी एकत्रित हो गए। स्थिति बिगड़ती देखकर भूपिंदर कौर के पति तथा उसके सहयोगी अधजले शरीर को छोड़कर भाग गए। अभी भूपिंदर की हृदय की धड़कन चल रही थी। उसे लेकर शीघ्र ही अस्पताल पहुँचा पर अथक प्रयास के बावजूद भी वह नहीं बच सकी। यह घटना 'पंजाब केसरी' के २६ सितंबर, ८१ के अंक में प्रकाशित हुई थी।

खंडवा (म. प्र.) सत्र न्यायाधीश श्री बी. एल. श्रीवास्तव ने मूंदी के जगदीश शास्त्री नामक व्यक्ति को अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने के अभियोग में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्राप्त समाचार के अनुसार कमलेश नामक युवती का विवाह जगदीश से हुआ था। शादी में दहेज कम मिलने से जगदीश के माता-पिता तथा वह स्वयं कमलेश को प्रताड़ित करते रहे थे।

१० नवंबर, ८० को अभियुक्त ने पत्नी के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अस्पताल में गंभीर हालत में उसे पड़ोसियों ने भर्ती कराया पर उसे बचाया न जा सका। मरने के पूर्व कमलेश ने अपने बयान में पति जगदीश को तेल डालकर आग लगाने का दोषी ठहराया।

'नई दिल्ली' के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती संतोष दुग्गल ने पुत्र वधू को जला मारने के आरोप में दो सासों को आजीवन कारावास का दंड दिया। २१ वर्षीय हरदीप कौर को अभियुक्त दोनों महिलाओं ने डेढ़ वर्ष पूर्व उसके शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। हरदीप कौर को एक १० माह का नवजात शिशु भी था। बताया जाता है कि पुत्र वधू को मारने के पीछे महिलाओं का आशय यह था कि लड़के का विवाह किसी धनाढ्य घर में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर दिया जाएगा।

दहेज के कारण उत्पीड़न की शिकार बनी महिलाओं को निरंतर की पीड़ा से छुटकारा पाने का एक मार्ग आत्म हत्या दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से युवतियों द्वारा आत्म हत्या की घटनाओं में भारी अभिवृद्धि हुई है जिनके पीछे एक मात्र कारण दहेज रहा है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वर्ष १९७६ में ६०० महिलाओं ने आत्म हत्या की। १९७७ में २७००, १९७८ में ३२००, १९७९ में ३५३० आत्म हत्या की घटनाएँ प्रकाशन में आईं। १९८० में युवतियों के आत्म हत्या की चार हजार घटनाएँ दर्ज की गईं। अर्थात् वर्ष १९२६ से १९८० तक आत्म हत्या की घटनाओं में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विचारणीय तथ्य यह है कि कानून द्वारा दहेज को अपराध घोषित किए जाने तथा सर्वत्र विरोध की आवाज उठते हुए भी दहेज प्रथा का उन्मूलन संभव नहीं हो पा रहा है। फलतः अनेक मासूमों को प्रतिवर्ष दहेज की बलिवेदी पर अपनी आहुति देनी पड़ रही है। हत्या और आत्म हत्याओं की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय समाज का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक है।

एक विडंबना तो यह है कि लड़की की शादी में जो दहेज की रकम देते हैं स्वयं भी लड़के के विवाह में सूद ब्याज सहित वसूलना

चाहते हैं। होना यह चाहिए कि लड़के पक्ष के ही दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए पहल करें पर लोभ का अवसर आते ही वे कन्या पक्ष की पीड़ा को भूल जाते हैं। गलती कन्या पक्ष की भी कम नहीं है। विवाहों में धन को अधिक महत्त्व प्राप्त है। कन्या पक्ष के लोग ऐसे लड़के की तलाश करते हैं, जो मात्र अधिक संपन्न हो अथवा किसी बड़े पद पर कमाऊ हो। गुण, कर्म स्वभाव एवं संस्कार जैसी स्थाई तथा दांपत्य जीवन को माधुर्य पूर्ण एवं सद्भाव से युक्त बनाने वाली विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलतः इन मानवी विशिष्टताओं से रहित लड़के अधिकांशतः निर्मम एवं निष्ठुर होते हैं। धन का महत्त्व उनकी दृष्टि में सर्वोपरि होता है। उसे जैसे भी बने अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। एक सुगम मार्ग इसके लिए दहेज ही दीखता है। कई बार ऐसे संपन्नों की दृष्टि यह भी रहती है कि घर में आई नव वधू किसी तरह मर जाए तो किसी नये संपन्न घर में रिश्ता जोड़कर दहेज की मनचाही राशि गाँठी जाए। उत्पीड़न, जलाने, मारने का मनोवैज्ञानिक आधार यही है। अस्तु गलती दोनों पक्ष की है तथा इन हृदय-विदारक घटनाओं के लिए लड़का पक्ष तो जिम्मेदार है ही लड़की पक्ष भी उतना ही दोषी है। कन्या पक्ष द्वारा जेवर, बहुमूल्य कपड़ों की माँग भी अवाञ्छनीय माँगों के अंतर्गत आती है। फलतः प्रकारांतर से दहेज प्रथा को प्रश्रय मिलता है।

समय की माँग है कि इस राक्षसी बर्बर प्रथा के उन्मूलन के लिए दोनों ही पक्ष समान रूप से विचार करें तथा प्रयास करें। आवश्यकता इस बात की भी है कि स्वस्थ एवं आदर्श विवाहों के प्रचलन के लिए लड़के-लड़की के गुण, कर्म, स्वभाव को अधिक महत्त्व दिया जाए।



## विवाहोन्माद में अनावश्यक अपव्यय की रोकथाम की जाए

आजकल 'हिंदू' समाज में विवाहों की प्रक्रिया इतनी खर्चीली, उलझी हुई और कष्ट साध्य बन गई है कि उसे एक अति दुष्कर विपत्ति माना जाता है। जिस पिता ने जितने बच्चों के विवाह कर लिए वह उसमें संग्राम जीत लेने जैसा गर्व और संतोष अनुभव करता है। बच्चों का जन्म होते ही विवाह की चिंता बढ़ती है। पुत्र और कन्या दोनों ही के विवाह महँगे हैं। किसी समाज में लड़के वालों पर यह भार पड़ता है तो किसी में लड़की वालों पर। स्वर्ण कही जाने वाली जातियों में लड़की वालों को बहुत खर्च करके लड़के वालों को खुश करना पड़ता है। असवर्ण एवं पिछड़ी जातियों में लड़का वाला अपनी आर्थिक क्षमता निचोड़कर किसी प्रकार लड़की वालों को संतुष्ट कर पाता है। जिसको प्रसन्न करने के लिए यह असह्य व्यय भार उठाया गया था वह भी उसे बचा नहीं पाता, कुछ लाभ नहीं ले पाते। "लूट के माल में अनेक साथी"—कहावत की तरह अनेक मुफ्तखोर उस लूट में साझी बन जाते हैं और वे भी उससे कुछ लाभ नहीं ले पाते जिसके लिए दूसरे परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति की बलि चढ़ा दी। बारात, आतिशबाजी, सजावट, बाजे, सवारी, चढ़ावा, दिखावा आदि की धूमधाम दो-तीन दिन की रौनक दिखाकर विस्मृति के गर्त में विलीन हो जाती है। उपहार के रूप में एक पक्ष न जो खाने-पहनने की चीजें दी थीं वे घर पहुँचते-पहुँचते चुनमुन-चुनमुन बँटकर समाप्त हो जाती हैं। इस तानिक-से टुकड़ों से इन लेने वालों का भी कुछ भला नहीं होता। अपने घर भी रह नहीं पाया दूसरों के भी कुछ काम न आया, का मूर्खतापूर्ण उदाहरण—ब्याह शादियों के समय बढ़ते हुए उपहारों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों, बर्तनों के बढ़ने में सहज ही देखा जा सकता है। जो नकदी के रूप में दिया जाता है उससे कई गुना सामान सरंजाम के रूप में दिया जाता है, फर्नीचर, बर्तन, खिलौने, चमकीले कपड़े, जेवर, रेडियो, शृंगार प्रसाधन आदि उपहार की चीज जब खरीदी जाती है

तब घर खाली हो जाता है पर दूसरे के घर जाकर वे कूड़े-करकट से अधिक कुछ सिद्ध नहीं होती। काम के उपकरण तो हर घर में पहले से ही रहते हैं। इन चीजों के आ जाने से भी कोई सुविधा नहीं, काम की जगह और घिरती है, इन्हें बेच इसलिए नहीं सकते कि जग हँसाई होती है।

नकदी के रूप में जो दहेज मिलता है वह विवाह में लगने वाले कुल खर्च का एक चौथाई ही होता है। बाकी तीन चौथाई तो दावत, सजावट, गाजेबाजे, मेहमानों की खातिरदारी, आतिशबाजी, धूमधाम, फर्नीचर, उपहार, जेवर, कपड़े के रूप में ही खर्च हो जाता है। जो थोड़ी वस्तुएँ मिली थीं उससे बहुत ज्यादा नकदी उस पक्ष को भी खर्च करनी पड़ती है, जिसे प्रसन्न करने के लिए यह भारी खर्च किया गया था। इस प्रकार दीखने में लाभ कमाने वाला प्रश्न भी वस्तुतः घटिया ही रहता है। उसे जो मिला था उससे बहुत ज्यादा खर्च दूसरे पक्ष की शोभा तथा संतुष्टि के लिए खर्च करने में गँवा देना पड़ा।

सवर्ण लोगों में—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में लड़की वाला पिसता है उसे अपनी आर्थिक बरबादी लड़के वालों की मनुहार के लिए करनी पड़ती है। असवर्ण लोगों-अछूत आदिवासी, बनवासी, पहाड़ी, पिछड़ी हुई जातियों के लोगों में लड़के वाले को अपनी आर्थिक बरबादी लड़की वाले को खुश करने के लिए उसकी माँग के अनुरूप करनी पड़ती है। फिर भी हिसाब पूछने पर यही पता चलता है कि जिसे लाभ कमाने वाला समझा जाता है वस्तुतः वह भी घाटे में रहता है। एक पक्ष के जिम्मे एक तरह के खर्च पड़ते हैं तो दूसरे पक्ष के जिम्मे दूसरी तरह के। एक को अमुक रस्म भी पूरी करनी पड़ती है तो दूसरे पक्ष को भी अमुक रस्म पूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। सवर्ण लोगों में बेटी वाले को बारात ठहराने तथा खिलाने का खर्चा वहन करना पड़ता है तो लड़के वाला बारात को अपने घर खिलाकर सवारी में बैठाकर ले जाता है और आतिशबाजी, बाजे, रोशनी आदि की रौनक के साथ उस बारात को बेटी वाले के दरवाजे तक ले पहुँचने में लगभग उतनी ही चपेट में आ जाना पड़ता है जितने से कि बेटी वालों को पिटना पड़ता है। लड़की वाले जितना दहेज देते हैं, उतने ही अनुपात में लड़की के

लिए कीमती कपड़े, जेवर आदि चढ़ाने पड़ते हैं और फल मेवा आदि तरह-तरह के उपहार भेजने पड़ते हैं। असवर्ण लोगों में शराब, माँस, दावत, नाच-रंग आदि का खर्च, पंचों की चुनौती आदि में अपनी आर्थिक स्थिति निचोड़कर बेटे वालों को संतुष्ट करना पड़ता है और वह बेचारा भी घर में कुछ रख नहीं लेता। दूसरों के जलते छप्पर पर हाथ सेकने वाले मुफ्तखोर लोग यहाँ भी जमा हो जाते हैं और मरी लाश पर उत्सव मनाने वाले गिद्धों की तरह अपना उल्लू सीधा करके अपना रास्ता नापते हैं। दूसरों के मत्थे कुछ दिन का सैर-सपाटा, दावत, मनोरंजन, मौज मजा करने वाले बेकाम के लफंगे अक्सर चौधरी पंच बनकर उस बर्बादी को अधिकाधिक सुशोभित बनाने में अपनी चतुरता पूरी तरह नियोजित करते देखे जाते हैं। बात बिगड़ जाएगी—नाक कट जाएगी का नारा ये लोग ऐसे ऊँचे स्वर में बुलंद करते हैं कि सामान्य मनोबल का, कम विचार शक्ति का व्यक्ति अपने आपको किंकर्तव्यविमूढ़ अनुभव करता है और सोचता है उसे बर्बादी का आगा-पीछा सोचने के बजाए अब नाक कटी और बात बिगड़ी वाली स्थिति को ही बचाना उचित है।

ऐसे ही वातावरण में हिंदू समाज के विवाह होते हैं। बाहर नाच-रंग और दहेज देवता के सरंजाम जुटते हैं, सरंजाम को जुटाने में पारिवारिक बर्बादी की नींव पड़ी वह भी नजर अंदाज नहीं हो पाती अस्तु भीतर ही भीतर मर्मांतक हाहाकार चलता रहता है। इस स्थिति की तुलना पशु बलि के लिए किये जाने वाले मूड़ उत्सव से ही की जा सकती है। एक ओर जिसमें असहाय पशु अपने प्राण जाने और मर्मांतक पीड़ा की आशंका से भयभीत त्राहि-त्राहि करने और आँसू बहाते हुए घिसटते चलते हैं, दूसरी ओर गर्दन कटने, खून की नाली बहने, चीत्कार की ध्वनि और तड़फड़ाने के दृश्य देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ का नाच-कूद, वाद्य गायन ये दोनों विडंबनाएँ साथ-साथ चलती रहती हैं। करुणा और नृशंसता की—कायरता और हर्षोन्माद की एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत प्रवृत्तियाँ पशुबलि के उत्सव के समय देखी जा सकती हैं, उसका दूसरा उदाहरण देखना हो तो कोई आठ दिन होने वाले हिंदू समाज के उन विवाहोत्सवों में सम्मिलित होकर देख लें। बर्बादी की नींव रखी जाते देखकर शोषित पक्ष अपनी बात और नाक कट चलने की दुहाई देने वाला शोषक

पक्ष एक-दूसरे से कितनी विपरीत स्थिति में होते हैं फिर भी बाहर से माथे पर गुलाल मलते हुए समधी भेंट की नकदी देकर रस्म अदा करता है और उसकी आत्मा कहती है कि इस नृशंस समधी का पेट छुरी से फाड़ डाला जाए तो अच्छा है। स्कूटर और मोटर साइकिल के लिए, बिलायत की सैर करने का खर्चा देने के लिए मुँह फुलाए जामाता की खुशामद में कन्या के पिता हाथ जोड़कर खड़े तो होते हैं और उसे किसी प्रकार मोल-तोल करके, अनुनय-विनय करके मनाते भी हैं, पर उनकी आत्मा कहती है ऐसे क्रूर जानवर को लड़की देने के लिए विवश न होना पड़ता तो तेल छिड़ककर आग लगा देना ही उचित होता।

अपना देश संसार के सबसे पिछड़े और गरीब देशों में से है। यहाँ आजीविका के साधन बहुत स्वल्प हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सर्वसाधारण को गरीबों की तरह रहना पड़ता है। इस कमर तोड़ महँगाई में ईमानदारी की कमाई पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति को अपने परिवार के निर्वाह, शिक्षा, चिकित्सा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना ही कठिन पड़ता है फिर बचत के साधन कहाँ जुटेंगे और थोड़ी बचत किसी की होती भी है तो उससे परिवार की प्रगति के कई साधन जुटाकर स्थिरता और प्रगति की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं। निश्चित रूप से अपने देश में औसत आमदनी इतनी नहीं होती कि कोई उसमें प्रचलित ब्याह-शादियों का अपव्यय-हुडदंग उचित ठहराया जा सके। यदि लेन-देन ऐसा भी होता जो एक परिवार से निकलकर दूसरे के यहाँ चला जाता तो भी बात समझ में आ सकती थी। पर दोनों परिवार खाली हो जाएँ, किसी के हाथ कुछ न पड़े ऐसी बचकानी मूर्खताओं के लिए दोनों पक्ष अपने अर्थ सकट एवं उससे उत्पन्न विभीषिकाओं में बुरी तरह जकड़ जाएँ इसका किसी भी प्रकार कोई औचित्य एवं तुक दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी दुर्भाग्य ही है, जो अपने सारे समाज को इसी विडंबना में जकड़े हुए हैं। यह और भी अचंभे की बात है कि मन ही मन हर कोई यह जानता है कि विवाह के दिनों बरता जाने वाला उन्माद नितांत हानिकारक एवं दुर्बुद्धि पूर्ण है पर उस प्रवंचना को क्या कहा जाए कि सब कुछ जानते हुए भी लोग उसी गर्त में गिरते-मरते हैं और जिसे अनुचित कहते हैं उसे ही पकड़े रहते हैं। भले मानसों में

इतना तक साहस नहीं रहा कि अंध-परंपरा के नाम पर इस सत्यानाशी कुरीति को झाड़ू से बुहारकर कुएँ में फेंक दें और सादगी के साथ बिना खर्च के आदर्श विवाहों की वैसी ही परंपरा आरंभ करें जैसी कि संसार भर के सभी देशों में, समाजों में प्रचलित है। दुनिया भर में विवाह होते हैं उन्हें एक छोटे पारिवारिक उत्सव की तरह अपनी हैसियत के अनुरूप बहुत ही सादगी से निपटा लिया जाना चाहिए। दो परिवारों के अति घनिष्ठ इष्ट मित्र मिलकर छोटी-सी चाय पार्टी या हँसी-खुशी की पिकनिक उस दिन करते हैं और दो-चार घंटे में वह उत्सव निपट जाता है। खर्च उतना होता है, जिसमें अखरने की बात पैदा न हो पाए। हमें भी दुनिया से कुछ सीखना चाहिए कि रंक होते हुए भी राजा का स्वांग बनाकर अपने बौद्धिक दिवालियापन का उपहासास्पद दुःखद परिचय नहीं देना चाहिए।

यह निश्चित है कि अगले ही दिनों विवाहोन्माद की जड़ अपने समाज से पूर्णतया कट जाने वाली है। घर फूँककर तमाशा देखने वाली उक्ति घर-घर में सदा ही चरितार्थ होती रहे यह संभव नहीं। अगले दिनों विचारशील लोगों का एक बड़ा समूह सामने आएगा और इस वज्रमूर्खता को लातों तले कुचलकर फेंक देगा। अपना सारा समाज बेईमान और गरीब होता चला जा रहा है। बच्चों के विवाह तो करने ही ठहरे। उनके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। अपने देश में ईमानदारी से गुजारे भर के लिए कमाने जितनी परिस्थितियाँ अभी हैं नहीं, फिर इस हुड़दंग में होली फूँकने के लिए प्रचुर धन कहाँ से आए ? जिन उपायों से यह जुटाया जाता है, उससे बेईमानी और गरीबी बढ़ती है। अपना देश कितना ही उपार्जन-उत्पादन करने लगे और विवाह शादियों के नाम पर होने वाला यह अपव्यय न रोका जाए तो हजार वर्षों तक भी यह गरीबी बनी रहेगी। मजबूरी हमारे सारे समाज को दिनों दिन अधिक बेईमान और अधिक गरीब बनाती चली जा रही है। यदि यही क्रम जारी रहा तो अपना चरित्र और उत्कर्ष कल्पना भर में सीमित रह जाएगा। हमारा भविष्य अंधकारमय ही बनता जा रहा है। इससे प्रगति की दौड़ में हम संसार भर के देश, समाजों से पीछे हट जाएँगे।





## विवाहों में बर्बादी का प्रतिरोध किया जाए

यदि आर्थिक आधार पर विवाह की विकृतियों का विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह मांगलिक अवसर प्रच्छन्न रूप से किसी परिवार को बर्बाद करने का ही अवसर अधिक होता है। आदर्शवादी मान्यता यही है कि जीवन के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है किंतु साथ ही इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस अर्थ युग में भी व्यक्ति, परिवार एवं समाज और राष्ट्र की जीवन व्यवस्था का आधार अर्थ से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति ठीक होने पर निर्वाह एवं विकास की व्यवस्था समुचित ढंग से पूरी होती रहती है और यदि वह लड़खड़ा जाए तो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। असाधारण आदर्शवादी महापुरुषों की बात अलग है। वे विपन्नता की स्थिति में भी अपने आदर्शों पर डटे रहते और अपनी मनःस्थिति को दृढ़ बनाए रखते हैं किन्तु सामान्य व्यक्तियों की यह स्थिति नहीं होती। आर्थिक सुदृढ़ता उनके संतुलन के लिए अनिवार्य होती है। प्रचलित विवाहों में यह आधार एक प्रकार से चरमरा जाता है। अपव्यय के कारण दीर्घकालीन दरिद्रता पल्ले पड़ जाती है। प्रकारांतर से व्यक्ति की गरीबी समाज और राष्ट्र को कमजोर बनाती है।

भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग एक अरब है। औसत आठ व्यक्तियों का एक परिवार माना जाए तो कुल परिवारों की संख्या ८ करोड़ ४० लाख होती है। अनुमानतः तीन परिवारों के पीछे प्रतिवर्ष एक विवाह संपन्न होता है। देश भर में होने वाले कुल विवाहों की संख्या जोड़ने पर २ करोड़ ८० लाख होती है। अपनी स्थिति से बढ़-चढ़कर विवाहों में दोनों 'पक्ष' खर्च करते हैं। एक विवाह में कम से कम पाँच हजार और अधिकतम २ लाख तक रुपये खर्च किए जाते हैं। खान-पान, साज-सज्जा, लेन-देन, नेग, चढ़ावा, भेंट, उपहार में खर्च होने वाली औसतन धनराशि १० हजार भी मानी जाए तो कुल २ करोड़ ८० लाख प्रतिवर्ष होने वाले विवाहों में कुल राशि

२ अरब ८० लाख होती है। इस विशाल धन की होली प्रतिवर्ष विवाहोन्माद में फूँक दी जाती है।

निश्चित ही विवाह दो आत्माओं के मिलन का एक पुनीत और पवित्र अवसर है। यह उपक्रम धार्मिक आधार पर सामाजिक वातावरण में सगे-संबंधियों के बीच सादगी से संपन्न हो, यह उचित है और आवश्यक भी। वातावरण को अधिक से अधिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावों से परिपूर्ण रखा जाना श्रेयस्कर है। किंतु उसमें अर्थ की बर्बादी से विवाह की गरिमा गिरती है। जो हर दृष्टि से हानिकारक है। विवाह एक ऐसा सहज धार्मिक कृत्य है जिसमें दो आत्माएँ बँधकर सामाजिक एवं जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होती है। उसमें अस्वाभाविक अथवा असामान्य जैसी कोई बात नहीं होती, जिसके लिए प्रदर्शन से लेकर मिथ्या आडंबर खड़ा करने के लिए अपव्यय का कलंक ओढ़ा जाए।

अन्य देशों में विवाह होते हैं किंतु वे सामान्य ढंग में संपन्न होते हैं। छोटे-से एक समारोह में प्रचलित स्थानीय कृत्यों के अनुसार दस-पाँच व्यक्तियों की उपस्थिति में वर-वधू दांपत्य जीवन के बंधनों में बँध जाते हैं। जिसमें न तो किसी प्रकार की अस्वाभाविकता होती है और न किसी प्रकार का प्रदर्शन। सादगी भरे वातावरण में सामान्य ढंग से होने वाले विवाह न तो अभिभावकों के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक भार डालते हैं और न ही नव-दंपतियों के ऊपर। फलस्वरूप धन के अपव्यय की गुंजायश नहीं रहती किंतु अपने देश की स्थिति इससे ठीक उल्टी है। विवाह के अवसर पर अधिक से अधिक अपने देश खर्च करना यहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति अनुकूल न होते हुए भी कितने ही व्यक्ति कर्ज लेकर, संपत्ति गिरवी रखकर अथवा बेचकर अपव्यय की मूर्खता भरी परंपरा का अनुसरण करते हैं।

देश को स्वतंत्र हुए तैंतीस वर्ष हो चुके हैं। अनेकानेक राष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद भी वह स्थिति नहीं आ सकी है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के आवश्यक साधन दिए जा सकें। पचास प्रतिशत आबादी अब भी गरीबी की रेखा के नीचे है। उनमें से कितनों को एक समय ही रोटी मिल पाती है। अस्सी प्रतिशत जनता अब भी अशिक्षित है। अशिक्षा के कारण उन्हें कितनी समस्याओं का

सामना करना पड़ता है ? ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष २ खरब ८० अरब धन की राशि विवाहोन्माद में फूँक देना कहाँ तक विवेक सम्मत है ? अपने देश का सालाना बजट ६६ अरब ६० करोड़ रुपये है। विवाहों में प्रति वर्ष अपव्यय की राशि वार्षिक बजट के पाँच गुने के बराबर होती है। छठी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि २ अरब ८६ करोड़ निर्धारित है। उपरोक्त अपव्यय की धनराशि को बचाकर यदि लघु उद्योगों में लगा दिया जाए तो कुछ ही वर्षों में पूरे देश की बेरोजगारी समस्या का हल निकल सकता है।

एक विवाह में अपव्यय की धनराशि को यदि व्यक्तिगत प्रयोजन में ही लगा दिया जाए तो आमदनी का स्थायी स्रोत खुल सकता है। दोनों पक्ष के अभिभावक उक्त राशि को नव दंपति के नाम पर जमा कर दें तो फिक्स डिपोजिट में वह छह वर्षों में दूना अर्थात् दस का बीस हजार और १२ वर्षों में ४० हजार होगी जिसका ब्याज प्रति माह ४०० रुपये होगा। इस राशि से एक छोटे परिवार का खर्च आसानी से चल सकता है। विवाह के अवसर पर अभिभावक थोड़ा विवेक से काम लें तो नव दंपति के लिए आय के महत्त्वपूर्ण स्रोत खोल सकते हैं। इस राशि को सुरक्षित रखकर १४ वर्षों बाद एक दंपति को ४०० रुपये की मासिक पेंशन आजीवन मिलती रह सकती है तथा मूल धन पीढ़ी-दर-पीढ़ी काम देता रह सकता है।

यह तो विवाहोन्माद-अपव्यय का आर्थिक विश्लेषण हुआ। अपव्यय से होने वाली सामाजिक एवं नैतिक हानियों का लेखा-जोखा लिया जाए तो पता चलता है कि इस कुरीति ने भारतीय समाज को जर्जर बनाने में भारी योगदान दिया है। एक की देखा-देखी दूसरा भी अनुकरण करता है। कितने ही व्यक्ति समाज में ओछे प्रदर्शन द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनीति और बेईमानी का मार्ग भी अपनाते हैं। खर्च करने की स्थिति नहीं होती और भीतर इतनी दृढ़ता नहीं होती कि इस अपव्यय की परंपरा का विरोध करें। उनके समक्ष एक ही मार्ग बचता है—अनीति का—बेईमानी का। कर्मचारियों में बढ़ती हुई बेईमानी का एक कारण यह भी—अपव्यय की मूर्खता है।

भारतीय समाज गरीबी और दरिद्रता के रोग से किस प्रकार संत्रस्त है उसके शूल में विवाह-शादियों में होने वाला अपव्यय भी

एक महत्त्वपूर्ण कारण है। यह न केवल व्यक्तिगत दरिद्रता, दीनता उत्पन्न करता है वरन् समाज में अनैतिकता, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को भी जन्म देता है। अब समय आ गया है कि इसका सामूहिक विरोध किया जाए। समझाने पर भी जहाँ बर्बादी रुकती न दीखे, ऐसे बर्बादी वाले आयोजनों में न तो स्वयं सम्मिलित हों और न ही अपने प्रभाव क्षेत्र के व्यक्तियों को सम्मिलित होने दिया जाए। अपव्यय के प्रति प्रतिष्ठा के स्थान पर अप्रतिष्ठा का बोध करा देने से कम में लोक प्रवाह को बदल सकना संभव नहीं है। सर्वत्र विरोध का यह क्रम चल पड़े तो समाज को जर्जर बना रहे इस प्रचलन को उखाड़ फेंकना असंभव नहीं है।



## विवेक जागे, साहस फूटे तो ही कुरीतियाँ मिटें

क्या उचित है और क्या अनुचित ? क्या करने में लाभ तथा क्या करने से क्या हानि होगी ? इसका निष्कर्ष निकालने और किधर नहीं चलना है ? उसका निर्णय करने में समर्थ उपयुक्त बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को दी है। वह इसका उपयोग भी करता है किंतु देखा जाता है दैनिक जीवन की साधारण बातों में तो विवेक ठीक काम करता है किंतु वही विवेक किन्हीं महत्त्वपूर्ण मामलों में कुंठित हो जाता है। उदाहरण के लिए परंपराओं को ही लिया जाए, समाज में अच्छी परंपराएँ भी प्रचलित हैं तथा बुरी परंपराएँ भी। स्वस्थ परंपराओं और उत्कृष्ट आचरण के लिए प्रत्येक समाज में स्थान है साथ ही कुछ बुराइयाँ और कुरीतियाँ भी सभी समाजों में प्रचलित हैं। दोनों में से किसी को भी चुनना व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर है।

क्या कारण है कि लोग कुरीतियों और बुराइयों को प्रश्रय देते हैं तथा उन परंपराओं को अपनाए चले जाते हैं, जिनके परिणाम अहितकर ही हैं ? इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा कि चुनाव करते समय व्यक्ति का विवेक कुंठित पड़ जाता है तथा आंतरिक असहमति होते हुए भी वह पानी में बहते हुए तिनके की तरह अनिश्चित दिशा

में बहने लगता है। परंपराओं को चुनने में सावधानी बरती जाए, विवेक बुद्धि का उपयोग किया जाए तथा कुरीतियों की अवमानना करने, उन्हें प्रश्रय न देने का साहस बरता जाए तो समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को देखते ही देखते जड़-मूल से उखाड़ा जा सकता है।

ऐसी बात नहीं है कि लोग कुरीतियों और सुरीतियों का अंतर न जानते हों, लड़का बेचने की, दहेज लेने या देने की बुराई को कौन स्वीकार नहीं करता ? इसके द्वारा होने वाली हानियों से कौन अपरिचित हैं ? शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले, दहेज प्रथा का समर्थन कर सके। इतने पर भी जब अपना लड़का विवाह योग्य होता है तो हर व्यक्ति का मन दहेज पाने के लिए ललचा उठता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करते समय दहेज का घोर विरोधी था, दहेज माँगने वालों की कटु शब्दों में आलोचना करता था, वही जब अपने लड़के के विवाह में बेटी वालों का कलेजा निकालने की पेशकश करता है, तब लगता है कि यह बुराई मनुष्य में लोभवृत्ति की निर्लज्ज सीमा तक पहुँच जाने का ही प्रतिफल है।

दहेज का अभिशाप हर भारतीय परिवार के गले की फाँसी बना हुआ है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं करता। ऐसी हत्यारी, अनैतिक और नृशंस प्रथा का समर्थन करने के लिए किसी के पास कोई तर्क नहीं। फिर भी देखा-देखी के कारण हो अथवा परंपराओं के कारण, इस प्रथा का निर्वाह इसलिए किया जाता है कि लोग लड़की के समय जो चेहरा ओढ़े रहते हैं लड़के के समय उसे तुरंत बदल देते हैं तथा दूसरा मुखौटा पहन लेते हैं। लोभ वृत्ति के कारण की जाने वाली इसे बेईमानी का परित्याग किया जा सके तो देखते ही देखते समाज को इस कुरीति से मुक्त किया जा सकता है। इतना करने के बाद देखा-देखी ऐसा करने का बहाना बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस स्थिति में जाग्रत विवेक कहेगा कि देखा-देखी ही करना है तो इस बुराई को प्रश्रय देने के स्थान पर अच्छाई को क्यों न अपनाया जाए। देखा-देखी के लिए ऐसे हजारों उदाहरण पहले से ही विद्यमान हैं जिनमें लोगों ने अत्यंत सादगी और मितव्ययिता के साथ विवाह कार्य संपन्न किया। इन आदर्शों की, परंपरा निभाने में क्या

कठिनाई है ? समाज में बुरी-से-बुरी और अच्छी से अच्छी बातें प्रचलित हैं। अच्छी बातों को अपनाने में क्या अड़चन है ?

सही बात तो यह है कि अच्छे-बुरे का विवेक करने की सामर्थ्य अपने पास होते हुए भी मन जिन्हें अपनी रुचि के अनुकूल मान लेता है, उन्हीं का अनुकरण करता है। जो बातें अपनी रुचि के प्रतिकूल होती हैं, उन्हें अपवाद मानता है और उन्हें छोड़ देता है क्योंकि कोई भी प्रथा परंपरा निरापद और सर्वमान्य नहीं है। अपनी मानसिक या नैतिक दुर्बलता के कारण ही व्यक्ति सही परंपराओं की तुलना में बुरी परंपराओं को चुनता और समाज में रहता है तो परंपरा निभानी ही पड़ती है, का बहाना किया करता है। लोकापवाद या समाज निंदा के भय से ऐसा करने की विवशता उत्पन्न होने का कारण बताता है। इस तरह के तर्क सर्वथा संगत और बहानेबाजी के सिवा कुछ नहीं हो सकते क्योंकि आदर्शवादिता को अपनाने और सुरीतियों का समर्थन देने का साहस किया जाए तो इस विवेकशीलता को सदैव सराहा जाएगा तथा दुर्बल मनोभूमि के व्यक्ति भी इसका अनुकरण करने के लिए उत्साह स्फूर्त होता अनुभव करेंगे।

इस तरह की कई कुरीतियाँ केवल थोड़ा-सा साहस न कर पाने के कारण प्रचलित हैं फलतः उन्हें रोकने के लिए कानून बन जाने, विचारशील व्यक्तियों द्वारा निंदित होने के बावजूद भी प्रचलित हैं। सभी कोई जानते हैं कि देवताओं के आगे अपनी कोई मनौती मानने के लिए पशु-पक्षियों की बलि चढ़ाना हृदयहीनता का कार्य है। हर कोई जानता है कि दूसरों को कष्ट देने का परिणाम आज तक किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं हुआ है। पाप के बदले कभी भी सुख नहीं मिला है। इतने पर भी परंपरा भक्त, अंध श्रद्धालु व्यक्ति यह सब करते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि जो लोग बलि नहीं चढ़ाते उनके देवता भी तो प्रसन्न रहते हैं। उनकी मनोकामनाएँ भी तो पूरी होती हैं, उनका अनुकरण करने में क्या बाधा है ?

पर्दा प्रथा अपनाने के कारण महिलाओं को अस्वस्थ, पराबलंबी, अशिक्षित, अनुभवहीन और आत्महीनता की ग्रंथि ग्रास बनाए रहने में कौन-सी समझदारी है। अन्य देशों और समाजों में अब महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपने देश व समाज को प्रगति पथ पर अग्रसर कर रही हैं तो उस परंपरा

को क्यों न अपनाया जाए ताकि नारी की सुविकसित क्षमता का लाभ उसे स्वयं को, अपने परिवार को तथा सारे समाज को मिल सके। पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह नारी को घर की चहारदीवारी के भीतर ही कैद रखना न तो बुद्धिमत्ता पूर्ण है और न ही दूरदर्शितायुक्त। इसलिए इस मूर्खता को प्रश्रय देने का कोई औचित्य नहीं है।

कहा जा चुका है कि समाज में भली और बुरी दोनों ही प्रकार की प्रथाएँ प्रचलित हैं। उनमें से केवल बुरी प्रथाओं को ही चुनना अपनी व्यक्तिगत दुर्बलता, मूर्खता, भीरुता और प्रतिगामिता का परिचय देना है। कुरीतियों और अनुपयुक्त, हानिकारक प्रथा परंपराओं को छोड़ने में कभी कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। संभव है प्रचलित परंपराओं की उपेक्षा करने पर कुछ लोग निंदा आलोचना करें। उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। लोग चोरी, बेईमानी और बदमाशी करते हुए भी लोकनिंदा की चिंता नहीं करते, फिर सन्मार्ग पर चलते हुए यदि लोक निंदा का सामना करना पड़ता है तो इसमें घबड़ाने की क्या बात है ?

प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को समाज में स्वस्थ परंपराओं का प्रचलन करने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आना चाहिए। सचाई और बुद्धिमानी के मार्ग को अपनाते हुए अकेले ही आगे बढ़ा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। संसार में अनेक महापुरुषों ने अकेले होने की चिंता किए बिना अपना पथ आप प्रशस्त किया है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अंध-परंपराओं और कुरीतियों की जड़ मनुष्य की भीरुता में छुपी है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति उनकी हानियों से भलीभाँति परिचित है, अभाव है तो केवल साहस का, संकोच दूसरों को वैसा करते हुए न देखने से ही होता है ऐसा नहीं है कि स्थिति बदलती नहीं। समस्त क्रांतियों का इतिहास बताता है कि जन-चेतना ऐसे अवसरों पर हमेशा जागी है तथा उसने परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। समाज की परिस्थितियाँ जब असह्य हो जाती हैं, समझाने-बुझाने के सौम्य उपचार परंपरागत अभ्यास में चिपके लोगों को सही मार्ग पर लाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं तो जाग्रत जन-मानस अभीष्ट प्रकार के परिवर्तन के लिए संघर्ष पर उतारू होता है। संसार में परिवर्तन का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कहीं भी मात्र आरंभिक विरोध के वैचारिक प्रयासों से काम नहीं चला है।

जन-मानस की प्रसुप्ति की हालत में ही पोषण और दमन का कुचक्र सफल होता है। कुरीतियों, मूढ़-मान्यताओं तथा कुपरंपराओं की दाल अवसाद ग्रस्त समाज की हांडी में ही गलती है। यह ढर्रा तब तक सफलतापूर्वक चलता रहता है जब तक कि चैतन्यता की एक ऐसी प्रचंड हवा, जो समाज में जड़ जमाए बैठी कुरीतियों तथा सदियों से चले आ रहे शोषण एवं दमन के कुचक्र को तिनके की भाँति नहीं बहा ले जाती है! लंबे समय से दास-प्रथा की अमानवीय परंपरा अमेरिका में चली आ रही थी। अनेक प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी उसे समाप्त करने में सफलता नहीं मिल पाई, स्थिति जब असह्य हो गयी तो समाज ने स्वयं करवट ली। क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की हैरियट स्टो की पुस्तक 'टाम की कुटिया' ने देखते ही देखते एक ऐसा संघर्ष खड़ा हो गया, जिसने दासप्रथा को सदा के लिए समाप्त कर दिया। रूस में जाए के निरंकुश शासन के विरुद्ध तथा फ्रांस में भी इसी प्रकार की क्रांति हुई। भारत को स्वतंत्रता भी किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास से नहीं जनजागृति के फलस्वरूप ही मिली। विरोध संघर्ष एवं असहयोग सर्वत्र होने से अँग्रेजी शासन की नींव हिल गई। उन्होंने देखा कि अब अधिक दिनों तक भारत को गुलाम रखना संभव नहीं है। जागृति की प्रचंड लहर को देखकर यहाँ से पलायन करने में ही उन्होंने अपना हित समझा। उन दिनों जो आक्रोश अँग्रेजी शासन के विरुद्ध चारों ओर दीख पड़ा था वह यदि नहीं उभरा होता तो देश को अभी कुछ दशकों तक और पराधीन रहना पड़ता।

जन-जागृति के लिए आरंभिक पृष्ठभूमि तो अग्रगामियों को बनानी पड़ती है पर उसके बाद एक समय ऐसा आता है, जब जन-मानस अनुभव करता है कि दीर्घकाल से चले आ रहे अनौचित्य पूर्ण ढंग को बदला जाए। समाजशास्त्रियों का मत है कि संसार में कम्युनिज्म जिस तीव्रगति से फैलाता जा रहा है, उसका प्रमुख श्रेय साम्यवाद के सिद्धांतों को नहीं वरन् समाज की माँग को दिया जाना चाहिए। कार्लमार्क्स के पूर्व भी अनेक विचारकों ने साम्यवाद जैसी विचारधाराएँ दीं पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। पूँजीवाद प्रश्रय पाता रहा। पर बदली हुई परिस्थितियों में सर्वत्र यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्थिक विषमता की खाई के रहते मानव-जाति



४८ विवाह यज्ञ है इसमें दृष्टता और भ्रष्टता न जोड़े

की सुख-शांति को कायम नहीं रखा जा सकता। युग की माँग थी कि उस खाई को पाटा जाए। जन मानस को समर्थ विकल्प की खोज थी। साम्यवाद इन परिस्थितियों में ही उभरकर सामने आया और वैकल्पिक समाज-व्यवस्था का आधार बना।

रूढ़ियों, परंपराओं और कुरीतियों के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। ये अविवेक की छाँव में पलती तथा प्रश्रय पाती हैं पर विवेक के उदय होते ही सिर पर पैर रखकर भागती हैं। वे तब तक समाज में संव्याप्त रहती हैं, जब तक कि विरोध के लिए प्रचंड आवेश नहीं उमड़ता। अभी कल परसों तक देश में सती प्रथा प्रचलित थी। राजा राममोहन राय जैसे कितने ही महापुरुषों ने उनकी समाप्ति के लिए प्रयास किया और उस प्रयत्न को सही अर्थों में सफलता तब मिली जबकि जनमानस ने अनुभव किया कि इस अमानवीय प्रथा का अंत होना ही चाहिए। इस जागृति के फलस्वरूप उस कुप्रथा का अंत हुआ। अब शायद ही कोई व्यक्ति सती प्रथा का समर्थक मिले और उसे औचित्यपूर्ण ठहराए।

बाल विवाह, पर्दाप्रथा को भी प्रबुद्ध वर्ग द्वारा औचित्यपूर्ण ठहराया जा रहा है। सुशिक्षित वर्ग यह अनुभव करने लगा है कि इन प्रथाओं से लाभ कुछ नहीं हानि अपार है। इन कुप्रथाओं के चंगुल में जकड़े हुए लोग प्रायः अशिक्षित पिछड़े इलाके के हैं, जो उनकी हानियों को नहीं समझते। अन्यथा प्रगतिशील वर्ग उनका अब समर्थक नहीं रहा। जिन क्षेत्रों में ये कुरीतियाँ संव्याप्त हैं कल नहीं तो परसों जागृति की लहर आते ही वहाँ भी वे समाप्त हो जाएँगी।

दहेज की कुप्रथा इनमें सबसे अधिक भयावह है। आज भी वह अपने चंगुल में समस्त समाज को जकड़े हुए है। इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए वर्षों से अनेक प्रकार के सौम्य प्रयास चल रहे हैं पर सफलता नहीं मिल पा रही है। पर कुछ क्षेत्रों में दहेज के विरोध में लोगों ने खुली बग़ावत आरंभ कर दी है जो यह संकेत देती है कि देर-सवेर इस कुप्रथा की समाप्ति भी सुनिश्चित है। स्वेच्छा से अथवा अनिच्छा से बाह्य दबावों से विवश होकर दहेज के लोभियों को अपनी आदत छोड़नी होगी।

बिहार के कितने ही जिलों में दहेज देने की असमर्थता की स्थिति में लड़कियों के अभिभावकों द्वारा जबरन विवाह कराए जाने

के समाचार मिले हैं। जून १९८२ हिंदुस्तान दैनिक पत्र के अनुसार असमर्थ लड़कियों के माता-पिता बदमाशों के गिरोहों से संपर्क साधते, उनसे अनुनय-विनय करते तथा इस बात के लिए उन्हें राजी करते हैं कि लड़की की शादी में मदद करें। माता-पिता को यह बताना होता है कि कैसा लड़का, लड़की के लिए चाहिए। दल के सदस्य उस लड़के का अपहरण बंदूक की नोक पर करते तथा किसी गाँव में मंडप आदि बनाकर विधिवत् शास्त्रीय परंपरा के अनुसार शादी करा देते हैं। स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट है कि ऐसी लगभग ५०० शादियाँ अब तक संपन्न हो चुकी हैं। इस नए प्रकार के अपराध से स्थानीय लड़कों के अभिभावकों में डर व्याप्त हो गया है। पुलिस भी विशेष परेशान है। कितने ही अभिभावक विवाह के उपरांत भी जबरन संपन्न हुई शादी की रिपोर्ट नहीं करते। यद्यपि यह अनुचित है किंतु दहेज प्रथा के विरोध में इस तरह के गैर कानूनी कदम यह शिक्षा देते हैं कि स्वेच्छा अथवा अनिच्छापूर्वक दहेज प्रथा का विरोध अब किसी भी स्थिति में किया ही जाना चाहिए।

जन आक्रोश की एक घटना का समाचार पानागढ़ से प्राप्त हुआ है। २७ जून, ८२ 'पंजाब केशरी' में प्रकाशित समाचार के अनुसार 'बर्नपुर' नामक स्थान से आए एक दूल्हे ने दहेज में अपनी माँग के अनुरूप सामान न मिलने पर शादी करने से इनकार कर दिया। बिना विवाह किए मंडप से बाराती दूल्हे सहित वापिस जाने लगे तो कुछ युवकों ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर जब लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा तो युवकों ने भी अपना क्रोध प्रकट किया यह धमकी दी कि यदि वह विवाह नहीं करता तो उसके माता-पिता सहित उनके बाल मुँडवाकर मुँह पर कालिख पोतकर सारे बाजार में घुमाया जाएगा। "भय बिन होई न प्रीति" की उक्ति चरितार्थ हुई और अंततः लड़के को विवाह के लिए राजी होना पड़ा। युवकों ने यह चेतावनी भी दी कि यदि लड़के अथवा उसके घर वालों ने कन्या को ससुराल में परेशान किया तो वे वहाँ पहुँचकर बदला लेने का भी साहस रखते हैं।

वस्तुतः समाजिक कुरीतियाँ विरोध के अभाव में ही अपनी जड़ जमाए रहती हैं और भीतर ही भीतर समाज को खोखला बनाती रहती हैं। आये दिन उन पर चर्चाएँ होती रहती हैं, सामाजिक

गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं पर व्यावहारिक स्तर पर असहयोग, विरोध प्रकट न करने से उनका उन्मूलन संभव नहीं हो पाता। चुप बैठने से उल्टे उन्हें प्रश्रय ही मिलता है। थोड़े गिने चुने व्यक्ति भी संगठित रूप में तनकर खड़े हो जाएँ—विरोध और संघर्ष पर उतारू हो जाएँ तो कोई कारण नहीं है कि उनका बहिष्कार न हो सके। इसका एक और अनुकरणीय उदाहरण अल्लाबलपुर (हरियाणा) के निवासियों ने प्रस्तुत किया।

दहेज की कुप्रथा भारत के अन्य प्रांतों की भाँति यहाँ भी लंबे समय से चली आ रही थी। अल्लाबलपुर के नागरिकों को विरोध भरा कदम उठाने की प्रेरणा एक घटना से मिली। गाँव के ही एक किसान को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए अपनी गुजारे की जमीन और मवेशियों को बेच देना पड़ा। भूखों मरने की स्थिति आ गई। इसी दिषय पर स्थानीय चाय की दुकान पर गाँव के कुछ व्यक्तियों की चर्चा छिड़ गई, जिसमें कुछ युवक भी सम्मिलित थे। चर्चा में ही यह बात चल पड़ी क्यों न हम सब मिलकर अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयत्न करें। यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए अल्लाबलपुर गाँव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गोष्ठी बुलाई जाए।

निर्धारित समय पर एक विशाल बैठक हुई जिसमें सभी 'पाल' एक तरह की जाति के लोग सम्मिलित हुए। विचार-विमर्श के बाद सबने दहेज की कुप्रथा के विरोध में अपनी असहमति दी। साथ ही 'तेवतिया' बिरादरी के सभी प्रमुख व्यक्तियों ने शपथ ली कि वे अपने लड़के-लड़कियों के विवाह में किसी प्रकार का लेन-देन नहीं करेंगे।

इतने में ग्रामीणों ने एक व्यावहारिक समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। उसने कहा—'हम दहेज नहीं लेंगे यह निर्णय तो ठीक है पर हम सबको अपनी लड़कियों की शादी अपने "पाल" में नहीं दूसरे पालों में करनी पड़ती है। इसलिए इस अभियान में उनकी भागीदारी एवं स्वीकृति के बिना दहेज प्रथा समाप्ति का लक्ष्य कहाँ पूरा होता है ? उठाई गई समस्या विवेक सम्मत थी। विचार-विनिमय के बाद अगली बैठक में दूसरे गाँव के पालों को भी आमंत्रित किया गया। संख्या अधिक होने से 'पलवल' जिले के अंतर्गत आने वाले १३०० गाँवों की सभा पलवल के ही हायर

सैकिण्डरी स्कूल के मैदान में आयोजित की गई। गाँव के मुखिया एवं पंचों को इस रैली में अनिवार्य रूप से बुलाया गया।

बैठक में १३०० गाँवों के विभिन्न खंड बनाये गए तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले ८२ व्यक्ति चुने गए। इस चयन का उद्देश्य था 'संबंधित विषय पर एक स्थान पर बैठकर गंभीरता से विचार' करें तथा नया निर्धारण करें। एक खेमे में इन सबने विचार-विमर्श के बाद २६ व्यक्तियों की एक समिति बनाई जिसे यह अधिकार दिया कि जो भी व्यक्ति दहेज लेता अथवा देता है उसका पता लगाने एवं दंड देने की व्यवस्था बनाएँ। विवाह के अवसर पर लेन-देन की अधिकतम धनराशि १०१ रुपये निश्चित की गई। बारातियों की भीड़-भाड़ दावतों में होने वाले अपव्यय से बेचने के लिए यह नियम बनाया गया कि शादियों में ११ व्यक्ति से अधिक नहीं जा सकेंगे। इस क्रांतिकारी निर्णय और घोषणा के बाद उस क्षेत्र में दहेज प्रथा का उन्मूलन जड़ से हो गया।

कुरीतियों के उन्मूलन के लिए कानूनी सहयोग भी प्राप्त है। पर वह कारगर तभी हो सकता है जब व्यावहारिक स्तर पर विरोध करने का साहस जुटाया जाय। 'अलावलपुर' जैसे साहसिक और संगठित प्रयास दूसरे स्थानों पर चल पड़ें तो दहेज तो क्या प्रचलित प्रत्येक कुरीति का उन्मूलन संभव है।



## बाल विवाह अनैतिक हैं, इन पर अंकुश लगे

बाल विवाह को निषिद्ध और गैर-कानूनी ठहराने के बाद भी कितने ही छोटे बच्चों के विवाह छोटी उम्र में हो जाते हैं। अक्षय तृतिया पर राजस्थान की एक विशिष्ट जाति में प्रतिवर्ष हजारों विवाह इसी मुहूर्त पर होते हैं। लोगों की यह मान्यता है कि जब विवाह का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा हो तो अक्षय तृतिया को निर्दोष और पूर्ण शुद्ध मानकर उस दिन विवाह किए जा सकते हैं। इसी मान्यता के आधार पर वहाँ प्रतिवर्ष हजारों विवाह संपन्न होते हैं।

कई जातियों में तो २० वर्ष की आयु बीत जाने के बाद लड़के का विवाह होना कठिन हो जाता है क्योंकि ये लोग मानते हैं कि विवाह योग्य उम्र यही है और इसी उम्र तक तो एक-दो बच्चे हो जाना चाहिए। संभवतः यह परंपरा उस समय चली हो जब राजे-रजवाड़ों में नित्य युद्ध हुआ करते थे और समझा जाता था "सोलह बरस लों कुंवर जीते आगे जीवन को धिक्कार।" अर्थात् किसी भी क्षत्रिय युवक की सोलह वर्ष की आयु से आगे मृत्यु को गले लगाने के लिए हर घड़ी तैयार रहना चाहिए और विवाह संतानोत्पादन आदि के दायित्व इससे पहले ही पूरे कर लेना चाहिए।

किन परिस्थितियों में बाल-विवाह की प्रथा चली, यह विचार करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। इतना तो हर कोई समझदार व्यक्ति स्वीकार करता है कि बचपन में विवाह कर देना आज के समय में अव्यावहारिक ही नहीं अमानवीय भी है। पर परंपरा भक्तों की अव्यावहारिकता और अमानवीयता का प्रश्न इतना कचोटने वाला नहीं है जितना कि परंपरा टूट जाने का और ऐसे लोग जो थोड़े-बहुत पढ़ लिख गये हैं तथा अपने-आपको काफी समझदार समझते हैं इस परंपरा के समर्थन में अजीब-गरीब तर्क देने लगते हैं।

कुछ लोगों का कहना है कि आज जब बड़ी उम्र में विवाह का रिवाज चल पड़ा है, उससे लड़के-लड़कियों का नैतिक पतन हो रहा है। जिस उम्र में लड़के-लड़की यौन भावनाओं को जागते हुए अनुभव करते हैं उस समय उन्हें तृप्ति नहीं मिलती तो वे अनुचित तौर-तरीकों से अपनी वासना पूरी करते हैं और अवांछनीय यौन संबंध स्थापित करने के लिए विवश हो जाते हैं।

वस्तुतः यह तर्क एकदम निराधार है। समाजशास्त्रियों का मत है कि बाल-विवाह की प्रथा जिन दिनों धड़ल्ले से चलती रही, उन दिनों भी लोगों में यौन विकृतियाँ पाई जाती थीं। वस्तुतः बाल विवाहों का प्रचलन इसलिए नहीं हुआ कि लड़के-लड़कियाँ पथभ्रष्ट न हो जाएँ। वरन् इसलिए हुआ कि उच्च वर्ग द्वारा जब गरीब और निर्धन कन्याओं का बलात् अपहरण तथा शील भंग किया जाने लगा तो उनकी शील रक्षा के लिए यह व्यवस्था बनानी पड़ी। उस समय कई अविवाहित व्यक्तियों द्वारा तो यौन उच्छृंखलता फैलाई नहीं गई थी। यौन उच्छृंखलता तो धनी, संपन्न, शक्तिशाली और अधिकारी वर्ग द्वारा

ही उत्पन्न की जाती थी और वे अपनी उद्वेग काम-पिपासा को शांत करने के लिए कुमारी कन्याओं को अपना शिकार बनाते थे।

विवाहितों में यौन भ्रष्टता का न होना भी कोई निश्चित नहीं है। बल्कि वह एक प्रकार से खुली छूट पा जाता है। यह सोचकर कि विवाहित होने के कारण सीधे उस पर तो संदेह होगा नहीं और कुमार रहने से ही यदि पथ भ्रष्ट हो जाता तो हमारे मनीषियों ने २५ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य मर्यादा का कठोरता से पालन करने की व्यवस्था नहीं बनाई होती।

यौन भ्रष्टता का संबंध न तो बढ़ती उम्र से है और न ही अविवाहित रहने से। यह उपजती है आस-पास के वातावरण, संस्कार, संगति और अनुकरण की प्रवृत्ति से। आजकल वातावरण को विकृत करने में सिनेमा, साहित्य, कला और प्रचार तंत्र ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

वातावरण के रंग में रंगे हुए अभिभावक अपने बच्चे को भी उसी स्तर के संस्कारों से संस्कारित करते हैं और यदि माता-पिता ध्यान भी रखें तो स्कूल में, खेल के मैदान में तथा मित्रों में रहने वाला बालक, युवक या किशोर उन दोषों को ग्रहण कर लेता है। आधुनिकता के उन्माद में बदलती जा रही विचारधारा और रहन-सहन के तौर-तरीके भी बच्चों से लेकर किशारों और युवकों तक को कुसंस्कारी बनाते हैं।

लोग युवावस्था में पथभ्रष्ट न हो जाएँ, इसकी सावधानी के लिए प्रचलित हुए बाल विवाह कदाचित अपने उद्देश्य में सही भी सिद्ध हों यद्यपि उसकी संभावना नहीं के समान है। फिर भी यदि मान लें कि सफल हो ही जाएँ तो वह बहुत महँगा और घाटे का सौदा है। सभी जानते हैं कि समय से पहले अपरिपक्व अवस्था में जीवन शक्ति का नष्ट होना बाल विवाह का भयंकर दुष्परिणाम है। जीवनी शक्ति के बहाव का रास्ता खोल देना, किसी भी प्रकार लाभप्रद नहीं हो सकता। यदि उनकी पथ भ्रष्टता रोकने के लिए ऐसा किया गया है तो भी वह ठीक ऐसा ही है जैसे यौन उत्पातों को रोकने के लिए युवकों को क्लीव ही बना दिया जाए।

कहा जाता है कि बाल विवाह में यौन शक्ति को असमय नष्ट होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि शादी के बाद बरसों तक गौना

नहीं होता और पति-पत्नी दूर रहते हैं यह बात देखने में ठीक तो लगती है पर बच्चों की मानसिक शक्ति को दुर्बल और बहने वाली बना देती है। कहा जाता है कि काम का संबंध शरीर से उतना नहीं है जितना कि मन से। विवाह के बाद बच्चों को विवाह की ऐकांतिक क्रिया से अनभिज्ञ नहीं रखा जाता। यही नहीं उनसे किसी प्रौढ़ व्यक्ति की तरह भी व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को भी अपने परिवार में उसी स्थान पर समझा जाता है जिस पर कि बड़ी विवाहित लड़कियाँ।

समय से पूर्व अनुभव होने वाली यह प्रौढ़ता लड़के-लड़कियों के लिए हर दृष्टि से घातक सिद्ध होता है और उसी समय से अपने बाद की आयु में छलांग लगा जाते हैं। १० वर्ष के बच्चे का विवाह हो गया हो तो वह अपने को २५ वर्ष से कम का नहीं समझता और जब २५ वर्ष का होता है—जीवन का एक चौथाई भाग देख चुका होता है तब वह अनुभूति के संसार में ४० की उम्र पार कर जाता है। किसी विचारक ने इसी कारण भारतीय यौन के संबंध में कहा है कि जवानी चालीस के बाद तक रहती है पर भारतीय युवक तरुणार्द्र से पहले ही वृद्ध हो चुका होता है।

परिपक्व आयु से पहले ही अपनी जीवन शक्ति का हास करने के साथ बाल-विवाहितों का दांपत्य जीवन और भी जड़ हो जाता है। विवाह का अर्थ ही जिन्हें नहीं मालूम और जो विवाह योग्य हैं भी नहीं उनका विवाह वे ही परिणाम उपस्थित करता है, जो अपात्र व्यक्ति को कोई वस्तु सौंपने से उस वस्तु पर घटित होता है। यह सोचना गलत है कि शादी के बाद का जीवन ही विवाह को अर्थ प्रदान करता है। वह तो विकास है जिसमें कि अस्तित्व का दर्शन होता है। अन्यथा आधारशिला तो विवाह के पूर्व के जीवन में ही रखी जाती है और बचपन में विवाह कर भले ही पति-पत्नी किसी भी उम्र में साथ रहने लगे आधारशिला तो उनकी रखी ही नहीं जाती। विवाह पूर्ण के स्वप्न, समय-साधना, भावनाओं का नियंत्रण तथा गृहस्थोपयोगी ज्ञान का अर्जन ही वह आधारशिला है जो बाल-विवाहितों के जीवन में अनुपस्थित ही रहती है। बिना आधारशिला के बनाया गया भवन अर्थात् बिना पूर्व तैयारी की साधना

के एकदम दांपत्य जीवन में उतरने वाला व्यक्ति अपनी गृहस्थी को कैसे सुदृढ़, सशक्त और आनंदपूर्ण बना सकता है।

यौन, जीवन में इससे पहले ही कोई अड़चन न आती हो पर पुरुष तथा स्त्री के लिए जीवन में आगे उन्नति के मार्ग में तो यह बाधा उपस्थित करता ही है। शताब्दियों तक हमारे देश का जनमानस अंधविश्वासी, पिछड़ा और कूपमंडूक बना रहा इसका कारण गुलामी से भी अधिक समय से पूर्व आरंभ किया गया विवाहित जीवन है। दस साल के बच्चे-बच्चियाँ जिन्हें अभी खुली छूट मिलने की आवश्यकता नहीं, जिनको जीवन के गंभीर दायित्व नहीं मिलने चाहिए और जिन्हें ज्ञान, शक्ति तथा अनुभव के क्षेत्र में बहुत कुछ अर्जित करना है, उन्हें विवाह-बंधनों में बाँध देने का अर्थ है देवदार के वृक्ष की जड़ें काटते रहकर उन्हें छोटा ही बनाने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में जब देवदार के छोटे-छोटे वृक्ष देखे तो उन्होंने बागवान से यही पूछा कि इन वृक्षों का विकास कैसे अवरुद्ध किया गया, मैंने तो हिमालय में इसके बड़े लंबे-लंबे वृक्ष देखे हैं।

बागवान के स्वामीजी को बताया था कि—'इन वृक्षों की पौध, गमलों में उगाई गई है और इस कारण इनकी जड़ें छोटी ही रह जाती हैं।' स्वामी रामतीर्थ ने उसी अवसर पर कहा था कि—'आपके यहाँ तो वृक्षों को ही छोटा रखते हैं पर यह मेरे देश का दुर्भाग्य है कि वहाँ आदमियों को भी छोटा बना दिया जाता है बचपन में ही जीवन के गंभीर दायित्वों से लाद कर।' उनका इशारा बाल विवाह की ओर ही था।

बाल विवाह के पक्षधर परंपरा के नाम पर भी इनका समर्थन करते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसे होता था, वे बाल विवाह करते थे इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। वस्तुतः परंपरा होने के कारण कोई प्रथा नहीं अपनाई जाती यदि लोग परंपरा होने के कारण ही पुरानी बातों को अपनाते चलें तो यज्ञोपवीत और शिखा की सर्वव्यापी उपेक्षा नहीं की जाती। यदि परंपरा होने के कारण कोई कर्मकांड किया जाए तो सोलह संस्कार लुप्त नहीं होते। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की परंपरा क्यों टूट जाती यदि परंपरा के कारण ही कोई व्यवस्था ग्रहण की जाती तो आश्रम शिक्षा यज्ञ, प्रातः सायं



उपासना, तीर्थयात्रा, गुरुजनों के प्रति आदरभाव आदि कितनी ही बातें हैं जो हमारी परंपरा रही हैं और जिन्हें तोड़ देने का भी कोई औचित्य नहीं।

वस्तुतः बाल विवाह का कारण न तो यौन उच्छृंखलता को नियंत्रित करना और न परंपरा के प्रति निष्ठा रखना है। किसी समय में इसकी उपयोगिता रही हो तो रही हो पर आज के समय में यह नितांत अनावश्यक और अवांछनीय है। आज यदि बाल विवाह किए जा रहे हैं तो केवल एक क्षुद्र-सी कामना और आशा से। वह यह कि बड़े-बूढ़े सोचते हैं हम अपने नाती-पोतों का मुँह देखकर मरें। यह विचित्र कामना है। जहाँ संतान को स्वावलंबी बनाकर उसकी ओर से निश्चित हो जाने तथा वानप्रस्थ और संन्यास लेकर समाज सेवा तथा आत्म कल्याण की साधना में लगाने की गौरवमयी परंपरा रही है, वहाँ अपने बच्चों के बच्चे बुलबुलाते देखने की तमन्ना मानसिक दिवालियापन नहीं तो और क्या है ?

जिन्हें अभी ठीक से खाना-पीना भी नहीं आया, सोने-जागने का भी ज्ञान नहीं उन्हें एकदम २०-२५ वर्ष बाद की स्थिति में धकेल देना कहाँ की बुद्धिमानी है ? कहीं-कहीं तो बच्चों का विवाह होते समय बड़ी मनोरंजक घटनाएँ घटती हैं। राजस्थान में हुए बाल विवाह का समाचार प्रकाशित करते समय यह भी छापा कि कई बच्चे तो माँ की गोद में सो रहे थे और फेरे वे नहीं उनके माँ-बाप पढ़ रहे थे। निस्संदेह बाल विवाहों की उपयोगिता गुड़डे-गुड़ियों के खेल से अधिक नहीं है जिसमें मनोरंजन भर हो जाता है। पर यह मनोरंजन बड़ा घातक सिद्ध होता है, इस मायने में कि यह बच्चों का सारा जीवन ही नष्ट करके रख देता है। प्रगति के इस आधुनिक युग में तो इनके विरुद्ध कदम उठाया जाना ही चाहिए।

